स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-21 (2)

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका

Practical Manual

मध्यप्रदेश में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन से संबंधित योजनाएँ

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (तृतीय वर्ष)

नेतृत्व विकास में विशेषज्ञता सहित

Bachelor of Social Work (Third Year)

With Specialization in Community Leadership

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका (Practical Work Manual)

अवधारणा एवं रूपरेखा :– **संस्करण 2017**

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा :–

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति

जयश्री कियावत, आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण

उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन–अभियान परिषद

संकलन एवं लेखनः–

सचिन कुमार जैन, विकास संवाद, भोपाल

राकेश कुमार मालवीय, विकास संवाद, भोपाल

संपादन

डॉ. अमरजीत सिंह

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

सहयोग

विकास संवाद, मध्यप्रदेश, स्पंदन)खंडवा(और यूनीसेफ

मुद्रक एवं प्रकाशकः–

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.

ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

डॉ. प्रवीण शर्मा, टॉस्क मैनेजर म.प्र. जन अभियान परिषद्

ई–मेल tmprajapbho@mp.gov.in मोबाइल– 9425301058

कॉपीराइटः © – महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

खेती से संबंधित योजनाएं/स्थिति और विकास

- सूरजधारा योजना
- बीज ग्राम कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना
- मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना
- सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)
- मध्यप्रदेश में जैविक खेती विकास कार्यक्रम
- जैविक खेती प्रोत्साहन योजना
- मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना (मापवा)
- ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना
- राज्य माइक्रो इरीगेशन मिशन योजना
- बलराम ताल योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.)
- राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑइल पाम मिशन
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- सब – मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम.)
- हलधर योजना – (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत)
- कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना – (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत)
- सहकारिता से खेती की नयी उड़ान
- किसान साख –पत्र (किसान क्रेडिट कार्ड योजना)
- राज्य कृषक आयोग
- जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविधालय ,जबलपुर
- ऊर्जा विभाग की ओर से किसानों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं
- पशुपालन से संबंधित योजनाएं
- पशुधन बीमा योजना
- गोपाल पुरस्कार योजना
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ग्रामीण बैंकयार्ड कुक्कुट विकास योजना –
- मत्स्य – पालन की योजनाएं
- उद्यानिकी से संबंधित योजनाएं
- रेशम पालन की योजनाएं

सतत विकास लक्ष्य : भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना, और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलना।

भारतीय समाज में कृषि

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह लोगों का पेट ही नहीं भरती, उन्हें सबसे ज्यादा आजीविका भी देती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब भी देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है। कृषि की सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी लगभग 22 प्रतिशत है।

कृषि के माध्यम से खाद्यान्न तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही अनेक प्रमुख उद्योग–धंधों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध होता है (जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, सिगरेट उद्योग और तम्बाकू उद्योग, आदि)। कृषि देश की राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख स्रोत है। कृषि से संबंधित उत्पाद व्यापार (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत द्वारा चाय, कपास, तिलहन, मसाला, तम्बाकू आदि का पूरी दुनिया में निर्यात होता है। कृषि उत्पादों के आंतरिक व्यापार से परिवहन कर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विदेशी आय में वृद्धि होती है, जो अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए नितांत आवश्यक है।

कृषि संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है। कृषि–उत्पादन मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखता है, उद्योगों की शक्ति प्रदान करता है, कृषक आय में वृद्धि करता है तथा रोजगार प्रदान करता है। कृषि का आर्थिक महत्व के साथ–साथ सामाजिक महत्व भी है। यह क्षेत्र निर्धनता उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश गरीब लोग ही कार्यरत हैं और यदि कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो निर्धनता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।आज, भारत खाद्यान्न में तकरीबन आत्मनिर्भर है, हालांकि बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने का दबाव भी भारत पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर, विश्व में भारतीय कृषि के लिए और भी चुनौतियां सामने आएंगी देखना यह होगा कि भारत किस प्रकार इन चुनौतियों से निपटेगा।

भारतीय कृषि का स्वरूप

स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद कृषि का उत्पादन कई गुना बढ़ चुका है। किंतु भारतीय कृषि में व्याप्त कुछ कारक इसके संतुलित विकास व वृद्धि में अवरोधक हैं। अभी भी भारत में प्रति हेक्टेयर भूमि में उत्पादन का स्तर बहुत ही न्यून है। कृषि के विकास के लिए नयी तकनीक, मशीनरी तथा नव–विकसित बीजों को अपनाकर यदि कृषि के क्षेत्र में कदम बढ़ाया जाए, तो हम विश्व के प्रमुख देशों के उत्पादन–स्तर से अधिक हासिल कर सकते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देना नितांत आवश्यक है। भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र अल्प–वर्षा वाले हैं और वहां सिंचाई की सुविधा भी बहुत ही सीमित है। बहुत–से क्षेत्र बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हैं। यहां मिट्टी का वितरण भी विभिन्न क्षेत्रों में असमान ही है, इसलिए विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित होती हैं।

हमारे कृषक आज भी निरंतर कृषि की परम्परागत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर निर्वाह कृषि ही करते हैं। वित्तीय बाधाएं लघु एवं सीमांत कृषकों को उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु खेती की आधुनिक पद्धति को अपनाने से रोकती है। भारतीय कृषि अभी भी व्यापक रूप से सिंचाई हेतु मानसून पर निर्भर करती है। लगभग 60 से 70 प्रतिशत विशुद्ध बुवाई क्षेत्र निरंतर सिंचाई की अपेक्षा वर्षा के जल पर निर्भर रहता है। खस्ताहाल विपणन एवं भण्डारण व्यवस्था भी भारतीय कृषि की समस्याओं एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है।

निम्न उत्पादकता के कारण

भारतीय कृषि की उत्पादकता शेष विश्व के सापेक्ष निम्न रही है। निम्न उत्पादकता के कारण भूमि, श्रम व अन्य साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। निम्न उत्पादकता के निम्नलिखित कारण हैं–

1. **भूस्वामित्व एवं वास्तविक कृषकः** भारत में जमींदारी प्रथा के कारण भूमि का स्वामित्व जमींदारों, मध्यस्थ, सूदखोर, महाजन इत्यादि के नियंत्रण में रहा जिसके कारण जोतदार (वास्तविक किसान) को भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाएं स्थापित करने एवं अन्य माध्यमों से कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का प्रोत्साहन नहीं मिला। ऐसा कृषक के पट्टेदारी अधिकारों के असुरक्षित होने के कारण हुआ। ऐसी स्थिति में मात्र प्रौद्योगिकी सुधारों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। उत्पादकता में वृद्धि के लिए भूमि सुधार आवश्यक हो जाते हैं।

2. **छोटे जोत की समस्याः** कृषि क्षेत्र में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोतों की बाहुल्यता है। ऐसी जोतों पर आधुनिक कृषि पद्धति को सही ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे, सहकारी कृषि के माध्यम से छोटी जोतों को वृहत् आकार प्रदान करने एवं कृषि की आधुनिक पद्धति अपना कर

उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों को पूर्ण उत्साह के साथ लागू नहीं किया गया। ऐसी जोतों पर कृषि मात्र जीवन निर्वाह के लिए की जाती है।

3. **पूंजी का अभावः** अधिकांश कृषकों के पास पूंजी का अभाव है, जिसके कारण वे आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभों को नहीं उठा पाते हैं। अल्प पूंजी के कारण वे न तो सिंचाई सुविधाओं में निवेश कर पाते हैं और न ही फार्म–मशीनीकरण की दिशा में कदम उठा पाते हैं।

4. **मानसून पर निर्भरताः** भारतीय कृषि उत्पादन मानसून के प्रति अतिसंवेदनशील है। सही समय पर मानसून आने का अर्थ अच्छी फसल का होना है। यदि मानसून सही समय पर नहीं आता है तो फसल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। वृहत् सिंचाई सुविधाओं पर अत्यधिक बल देने तथा लघु सिंचाई सुविधाओं के कारण मानसून के प्रति भारतीय कृषि क्षेत्र की निर्भरता बढ़ी है। हरित क्रांति के बाद के काल में उत्पादकता बढ़ाने की अनिवार्य शर्त के रूप में सिंचाई साधनों का विस्तार भी है। समग्र आर्थिक विकास में कृषि के महत्व के परिप्रेक्ष्य में उत्पादकता वृद्धि के लिए मानसून पर निर्भर रहना उचित नहीं है। मानसून समय पर न आने की परिस्थिति में भी कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने देने के लिए वैकल्पिक सिंचाई साधनों का विकास अनिवार्य हो जाता है।

5. **प्रति व्यक्ति कृषि का घटते जाना :** आजादी के बाद भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। साथ ही भूमि पर जनसंख्या के दबाव में निरंतर वृद्धि हुई है। आजादी के पश्चात कृषि के अधीन नवीन भूमि लाने के बावजूद विगत वर्षों में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि घटी है।

6. **मिट्टी की उर्वरता में कमी :** भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो सामान्यतः उर्वरक है परंतु निरंतर कृषि के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। मिट्टी की उर्वरकता को कायम रखने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे वैज्ञानिक तरीकों को नहीं अपनाया गया।

7. **सुविधाओं का अभावः** भारत में अल्प कृषि उत्पादकता की पृष्ठभूमि में कृषि सुविधाओं का अभाव भी महत्वपूर्ण कारण है। कृषकों को पर्याप्त विपणन व साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिससे वे न तो आवश्यक निवेश ही कर पाते हैं और न ही सही समय पर अपने उत्पादों की बिक्री कर पाते हैं।

4 वर्षों में फसल उत्पादन से संबंधित सारांश खरीफ एवं रबी

	12-2013	13-2014	6-2015	17II-2016 एवं रबी
धान (चावल)	53.61	54.38	53.20	72.55
गेहूं	174.78	184.80	184.10	210.06
ज्वार	3.71	3.77	4.00	4.63
बाजरा	3.80	4.45	6.18	6.79
मक्का	20.26	25.31	31.40	43.32
अन्य अनाज	3.10	1.30	4.09	5.11
कुल अनाज	259.26	274.01	282.97	342.46
मूंग	0.40	0.70	0.53	1.01
उड़द	2.19	4.28	5.15	10.75
तुअर	4.64	5.11	6.40	10.45
चना	28.47	29.64	33.64	37.70
अन्य दलहनी	6.63	6.74	10.82	12.20
अन्य दलहन	42.33	46.47	56.54	72.11
कुल खाद्यान्न	301.59	320.48	339.51	414.58
तिलहन (लाख टन)	**0**	**0**	**0**	**0**
सोयाबीन	55.17	63.82	44.48	70.48
मूंगफली	3.12	3.69	2.66	4.49
राई–सरसों	10.55	6.70	6.66	8.02
अलसी	0.55	0.60	0.55	0.59
अन्य तिलहनी	1.87	2.38	1.88	3.12
कुल तिलहन	71.26	77.19	56.23	86.70
गन्ना (गुड़)	3.62	4.57	5.28	4.95
कपास (लाख गाठें)	10.90	12.56	13.48	12.85

स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना

मिट्टी खेती का एक महत्वपूर्ण अंग है। मिट्टी पर ही फसल की पैदावार निर्भर होती है। जितनी अच्छी मिट्टी उतनी अच्छी फसल। इसलिए सरकार मिट्टी की सेहत के प्रति चिंतित है। इसकी सेहत को दुरूस्त करने के लिए देश में एक नयी योजना लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना वर्ष 2014–15 से शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति से ग्रिड आधारित मिट्टी के नमूना एकत्रित कर विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद फसलवार संतुलित पोषक तत्व, उर्वरकों की अनुशंसा की जाती है। कृषकों को इसके अंतर्गत निशुल्क स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं।

यह सतत् विकास लक्ष्य के उस बिंदु को पूरा करने के लिए एक रोडमैप भी बनाती है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ और कुशल उपयोग हासिल करना है। साथ ही बारहवें लक्ष्य के तहत स्थाई खपत और उत्पादन के सिलसिले को सुनिश्चित करना है।

योजना के प्रमुख उदेश्य–

- ग्रिड के आधार पर मिट्टी के नमूना लेकर हर किसान को तीन वर्ष के अंतराल पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। इससे उन्हें मिट्टी की सेहत के बारे में सही जानकारी पता चलती रहे।
- पौधे के लिए आवश्यक मुख्य सूक्ष्म तत्वों का मृदा नमूना में परीक्षण कर उर्वरकों की अनुशंसा करना। ताकि मिट्टी को सही खाद पानी और जरूरी तत्व मिल सकें।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिखाई गई अनुशंसा के आधार पर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना।

मृदा नमूनों का एकत्रीकरण –

- सिंचित क्षेत्र में सीमांत एवं लघु कृषकों से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा मध्यम, अद्‌र्ध मध्यम व बड़े सभी कृषकों से उनके द्वारा जोती जाने वाली प्रति जोत एक नमूना लिया जाना।
- असिंचित क्षेत्र में सीमान्त, लघु, अद्‌र्ध मध्यम, मध्यम कृषकों के 10 हेक्टेयर प्रति ग्रिड एक नमूना लिया जाना है तथा बड़े कृषकों से उनके द्वारा धारित प्रति जोत एक नमूना लिया जाना।
- मृदा नमूना का एकत्रीकरण किसान मित्र, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है।

- किसान भाई अपने ग्राम के किसान मित्र, ग्रामीण कृषि विस्तार आधिकारी से सम्पर्क कर अपने खेत का मिट्टी नमूना एकत्रित करा सकते हैं ।

मृदा नमूना विश्लेषण – मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में ग्रिड नमूना का विश्लेषण कर मृदा का पी.एच. विद्युत चालकता, आर्गेनिक कार्बन, नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैंगनीज, बोरान के स्तर की जांच पोषक तत्व उर्वरकों की स्वाइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से अनुशंसा करना।

स्वाइल हेल्थ कार्ड – योजनान्तर्गत कृषकों के खेतों से लिए गए ग्रिड नमूना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में सम्मिलित (अधिकतम दस कार्ड प्रति ग्रिड) कृषकों को निशुल्क स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाना है।

स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरण – मिट्टी नमूना विश्लेषण उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषकों को कृषक मित्र/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

परीक्षण आधारित प्रदर्शन– मृदा नमूना परीक्षण उपरांत परिणाम आधारित 10 हेक्टेयर की ग्रिड में एक प्रदर्शन आयोजित किया जाना प्रावधानित है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों पर अनुदान – मृदा सुधारक जिप्सम, फास्फोजिप्सम, बैंटोनाइट सल्फर पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 700 रु प्रति हेक्टेयर। सूक्ष्म तत्वों पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रु प्रति हेक्टेयर, जैव उर्वरकों हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रु प्रति हेक्टेयर कृषकों को अनुदान देय है। लाइम एवं लाइमिंग मटेरियर्स के लिये कीमत का 50 प्रतिशत अधितम 1000 रु पर हेक्टेयर का प्रावधान है।

प्रशिक्षण–स्वाइल हेल्थ कार्ड योजनान्तर्गत कृषकों, मैदानी अमले एवं प्रयोगशाला के मृदा विश्लेषकों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में 50 विभागीय एवं 28 कृषि विश्वविधालयों द्वारा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनके माध्यम से कृषकों के नमूनों का मिट्टी परीक्षण कराया जाकर स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषकों को विकास खण्ड स्तर पर मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाना प्रक्रियाधीन है।

ऑनलाइन जानें अपनी मिट्टी की सेहत

http://www.soilhealth.dac.gov.in/ यह वेबसाइट है। भारत सरकार के कृषक कल्याण एवं कृषि मंत्रालय की ओर से यह वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट में मिट्टी परीक्षण के तमाम आंकड़े वास्तविक समय में आते रहते हैं। इसके साथ ही इसमें तमाम् रिपोर्टस भी सार्वजनिक की जाती हैं, जिससे मिट्टी की जांचों का पता चलता रहता है। किसानों के लिए इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह दी गई है कि वह अपने सैंपल को ट्रेक कर सकते हैं कि उनकी जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ? वेबसाइट से उपयोगकर्ता सीधे अपनी जांच का प्रिंट भी हासिल कर सकता है। यदि वर्तमान फसल के साथ किसान यदि कोई अतिरिक्त फसल लेना चाहता है तो उसके लिए भी वेबसाइट के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।

ऑनलाइन सलाह प्राप्त करें: आप अपनी खेती में किस उर्वरक का कितना इस्तेमाल करें, इसके लिए वैज्ञानिक जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जमीन की वर्तमान क्षमताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कितने सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हैं, और किनकी कमी है। वेबसाइट में एक ऑनलाइन टूल बनाया गया है, इस टूल का नाम **फर्टिलाइजर डोसेज फॉर यूअर कॉप** है। यह इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें आप कुछ क्लिक के द्वारा ही अपनी फसल के लिए उपयुक्त उर्वरक की मात्रा और उसका प्रकार जान सकते हैं। यह बेहद आसान और वैज्ञानिक है। अक्सर होता यही है कि किसान एक बने–बनाए ट्रेंड को देखकर ही अपने खेतों में उर्वरक की मात्रा अंदाज से डाल देता है, जिसका कई बार कोई असर नहीं होता है।

अब खेती परंपरागत रूप से नहीं की जा सकती। इसमें नए–नए प्रयोग करके ही इसे लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपको सभी तरह की जानकारियां हों। जैसे मेरे जिले में सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या स्थिति है ? पहले यह ज्ञान परंपरा से एक दूसरे को मिलता रहता था। अब यह और भी ज्यादा वैज्ञानिक पद्धतियों से सामने आता है। यह वेबसाइट ऐसी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराती है, जिसमें आप अपने ब्लॉक या जिलों की जमीन की उपजाऊ क्षमता के बारे में जानकारियां प्राप्त कर आगे की रणनीति निर्धारित कर सकते हैं। पहले यह काम कठिन होता था, लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए अब यह ताकत हर आदमी के पास आ गई है।

Soil Health Card
Format Hindi

सॉयल हैल्थ कार्ड संख्या : ______
किसान का नाम : ______
वैधता : ______ से ______ तक

सॉयल हैल्थ कार्ड		प्रयोगशाला का नाम	
किसान का विवरण			
नाम			
पता			
ग्राम			
उप-जिला/तहसील			
जिला			
पिन कोड			
आधार संख्या			
मोबाइल संख्या			
सॉयल नमूना विवरण			
सॉयल नमूना संख्या			
नमूना एकत्र करने की तिथि			
सर्वे संख्या			
खसरा सं. / Dag No.			
खेत का क्षेत्रफल			
भू-स्थिति (GPS)	अक्षांश :	देशांतर :	
सिंचित भूमि / वर्षा सिंचित भूमि			

सॉयल परीक्षण परिणाम

क्रमांक	पैरामीटर	परिणाम	इकाई	आकलन
1	पी एच (pH)			
2	ई सी (EC)			
3	जैविक कार्बन (OC)			
4	उपलब्ध नाइट्रोजन (N)			
5	उपलब्ध फास्फोरस (P)			
6	उपलब्ध पोटैशियम (K)			
7	उपलब्ध सल्फर (S)			
8	उपलब्ध ज़िंक (Zn)			
9	उपलब्ध बोरॉन (B)			
10	उपलब्ध ऑयरन (Fe)			
11	उपलब्ध मैंगनीज़ (Mn)			
12	उपलब्ध कॉपर (Cu)			

द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों संबंधी सिफारिशें

क्रमांक	पैरामीटर	सॉयल अनुप्रयोग संबंधी सिफारिशें
1	सल्फर (S)	
2	ज़िंक (Zn)	
3	बोरॉन (B)	
4	ऑयरन (Fe)	
5	मैंगनीज़ (Mn)	
6	कॉपर (Cu)	
General Recommendations		
1	जैविक खाद	
2	जैव उर्वरक	
3	चूना/जिप्सम	

International Year of Soils 2015 — Healthy Soils for a Healthy Life

संदर्भ उपज के लिए उर्वरक सिफारिशें (जैविक खाद के साथ)

क्रमांक	फसल व किस्म	संदर्भ उपज	एन.पी.के. के लिए उर्वरक संयोजन-1	एन.पी.के. के लिए उर्वरक संयोजन-2
1	धान			
2				
3				
4				
5				
6				

इसके साथ ही स्मार्ट मोबाइल फोन में सॉइल हेल्थ कार्ड की एप्प डाउनलोड करके भी यही सारी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यह बेहतर फसल के लिए एक बहुत उपयोगी टूल है।

मैदानी/प्रायोगिक कार्य

जानें अपनी मिट्टी की सेहत

किसाानों/समुदाय से बातचीत करके यह जानने की कोशिश करें कि	अपने इलाके में किस–किस तरह की मिट्टी उपलब्ध है और वह किन फसलों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
	अपने इलाके में पारंपरिक रूप से फसलों का क्या ट्रेंड रहा है, और वह कैसे बदलता रहा है ?
	अपने इलाके की मिट्टी में पिछले तीस–चालीस बरसों में क्या बदलाव आए हैं, और वह क्यों आए हैं ?
	पहले मिट्टी के संरक्षण के लिए किसान कौन से तौर–तरीके अपनाते रहे हैं, किन उर्वरकों का उन्होंने प्रयोग किया और अब क्या कर रहे हैं ?
वर्तमान परिस्थितियों में	अपने क्षेत्र में किसानों के मिट्टी परीक्षण को लेकर क्या विचार हैं, वह इसे क्यों जरूरी मानते हैं और क्यों नहीं मानते हैं ?
	एक सूची तैयार करवाईये कि किन–किन किसानों ने अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया, और उसके बाद क्या किया ? क्या इस प्रक्रिया और सलाह से उन्हें कोई लाभ हुआ है ?
समुदाय की बैठक में टूल का उपयोग	अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट पर http://www.soilhealth.dac.gov.in/ वेबसाइट खोलकर प्रदर्शन करें और इसके फीचर्स के बारे में उन्हें बताएं। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को यह समझाने की कोशिश करें कि यह एकदम आसान प्रक्रिया है। उन्हें मोबाइल एप्प भी डाउनलोड करके बताएं, यह उनके लिए आगे भी एक उपयोगी कदम होगा।

खेती की जान उन्नत बीज

मिट्टी के साथ एक बहुत जरूरी चीज है बीज। अच्छी मिट्टी, पर्याप्त पानी और मजबूत बीज एक खुशहाल व उपजाउ खेती की बुनियादी चीजें हैं। पहले हमारे यहां पर पारंपरिक रूप से बीजों को सहेजने का काम होता रहा है। किसान भाई इसे अपने–अपने तरीकों से संरक्षित करते आए हैं।

सरकार भी बीजों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है। इनका उद्देश्य जरूरतमंद किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाना है ताकि वह इनके माध्यम से अपनी फसल को लाभ के सौउदे में परिवर्तित कर सके। अच्छा बीज गरीब और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान भाई बहनों के लिए और बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जबकि उनके पास पूंजी का अभाव होता है अच्छा बीज प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल भरा होता है। पूंजी होती भी है तो उसकी प्राथमिकता में पहले खाद और पानी का इंतजाम करना होता है, बीज का नंबर बाद में आता है।

इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाकर लागू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी पर या कम दर पर बीज उपलब्ध करवाया जाता है।

अन्नपूर्णा योजना – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषक जो अच्छा उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों की उन्नत किस्मों के बीज खरीदने में असमर्थ होते हैं, ऐसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराती है अन्नपूर्णा योजना। इसका मकसद किसानों की फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

बीज अदल–बदली : कृषक द्वारा दिए गए अलाभकारी फसलों के बीज के बदले 1 हेक्टेयर की सीमा तक खाद्यान्न फसलों के उन्नत एवं संकर बीज प्रदाय किए जाते हैं। प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रु 1500–की पात्रता होती है। कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं हो पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत नगद राशि कृषक को देनी होती है।

बीज स्वावलम्बन– कृषकों की धारित कृषि के 1/10 क्षेत्र के लिए आधार, प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय।

बीज उत्पादन– शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए जाते हैं। कृषकों को आधार, प्रमाणित–1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। अधिकतम 1 हेक्टेयर तक अनुदान की पात्रता होती है। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जाता है। उत्पादित प्रमाणित बीज, आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जाता है।

सूरजधारा योजना

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों, किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी, तिलहनी फसलों के उन्नत एवं भरपूर उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है।

बीज अदला–बदली – कृषकों द्वारा दिए गए आलभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 1 हेक्टेयर की सीमा तक प्रदाए किए जाते हैं। कृषकों द्वारा दिए गए बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हेक्टयेर सीमा तक) प्रदाए किया जाएगा। अन्य फसल का बीज चाहने पर प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी।

बीज स्वावलम्बन : कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिए आधार, प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाएगा।

बीज उत्पादन– तिलहनी दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिए शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज कार्यक्रम लिया जाएगा।

कृषक को आधार , प्रमाणित–1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर 1 हेक्टेयर तक के लिए दिया जाएगा। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जाएगा। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जा सकेगा।

बीज ग्राम कार्यक्रम

यह कार्यक्रम सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लान्टिंग मटेरियल का एक प्रमुख घटक है। प्रदेश के समस्त जिलों के चयनित ग्रामों में यह कार्यक्रम चलाया जाता है। उन्नत बीज उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण देने तथा अधोसंरचना विकास आदि उद्देश्यों के लिए यह चलाया जाता है। बीज उत्पादन एवं भंडारण तकनीकी हेतु प्रशिक्षण आदि, योजना के प्रमुख घटक है।

यह कार्यक्रम सभी वर्ग के कृषकों हेतु लागू है। जिला कृषि कार्यालय के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखंड के चयनित ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जाता है।

क्या मिलता है इसके अंतर्गत : प्रत्येक चयनित कृषक को एक एकड़ के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर अनाज फसलों हेतु तथा 60 प्रतिशत अनुदान पर दलहन, तिलहन, चारा तथा हरी खाद की फसलों हेतु आधार, प्रमाणित बीज दिया जाता है। योजना के तहत प्रशिक्षण में 3 प्रमुख फसल अवस्थाओं, बोनी के समय, पूर्ण अवस्था तथा कटाई के समय कृषकों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

उन्नत भण्डारण पात्र– बीज भण्डारण हेतु 10 क्विंटल भंडार कोठी के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कृषकों को निर्धारित कीमत का 33 प्रतिशत, अधिकतम रु 1500– तथा 20 क्विंटल भंडार कोठी पर कीमत का 33 प्रतिशत या रु 3000– जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है।

सामान्य कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान–

अ. 10 क्विंटल कोठी पर अधिकतम रु.1000– तथा

ब. 20 क्विंटल कोठी पर अधिकतम रु.2000–जो भी कम हो देय होगा।

बीजोपचार ड्रम– अनुदान दर 20 किलोग्रम क्षमता हेतु 3500 रु प्रति बीजोपचार ड्रम तथा 40 किलोग्राम क्षमता हेतु 5000 रु.।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

बीज से संबंधित योजनाएं और अपने क्षेत्र की स्थिति	क्या कार्यवाही करें
समुदाय के साथ बातचीत करके निम्न विषयों पर बातचीत करें	अपने क्षेत्र में कितने प्रकार के बीज पाए जाते हैं सूची बनाएं। ऐसे बीजों की सूची बनाएं जो अब क्षेत्र में नहीं पाए जाते या कम पाए जाते हैं। अपने क्षेत्र के देसी बीजों की सूची बनाएं।
समुदाय में बीजों के महत्व पर बातचीत करें।	वह कौन से परंपरागत तरीके थे जिनसे बीजों का संरक्षण किया जाता था ?
	बीजों और फसलों का कोई चक्र है क्या, जोकि साल भर की भोजन प्रणाली से जुड़ा हुआ है, इसे निकालने

	की कोशिश करें। बीजों के आदान–प्रदान या लेन–देन की परंपराओं को भी बातचीत के माध्यम से निकालने की कोशिश करें।
बीजों पर संकट	समुदाय में संवाद के माध्यम से यह जानने की कोशिश करें कि **क्या वह अपने बीजों पर कोई खतरा महसूस करते हैं** ?
सरकार की योजनाएं	समुदाय के साथ बातचीत कर वर्तमान में चलाई जा रही बीज संबंधित योजनाओं की स्थिति और हितग्राहियों से बातचीत करके यह जानें कि इससे उन्हें क्या फायदा हुआ ?
भ्रमण	अपने आसपास के किसी एक बीज ग्राम का दौरा करें और उसके अनुभवों पर एक रिपोर्ट तैयार करें।
रचनात्मक कार्य	कई इलाके ऐसे होते हैं जहां बीजों पर आधारित किस्से कहानी, पहेलियां या कहावतें कही जाती हैं, अपने बुजुर्गों से ऐसी सामग्री का संकलन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना

किसी भी तरह के विकास के लिए नजरिया व्यापक होना जरूरी है। नजरिया तभी व्यापक होता है जबकि आप अपने दायरे से बाहर निकलते हैं। यह तभी संभव हो पता है जबकि आपको वैसे मौके मिलें। मध्यप्रदेश सरकार किसानों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए सरकार एक अनूठी योजना चलाती है। इसका नाम है मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना। एक अन्य योजना आत्मा परियोजना के तहत किसान देश की सीमा के अंदर ही भ्रमण करके अपने नजरिए को व्यापक बनाते हैं लेकिन इस योजना ने तो देश के बाहर किसानों को दूसरे देशों की खेती से सीधे रूबरू होने का मौका देती है। इसके माध्यम से अभी तक प्रदेश के सौ से ज्यादा किसान विदेश जाकर खेती की नयी–नयी तकनीक सीखकर आए हैं।

इस योजना के तहत किसानों को विकसित देशों में प्रचलित कृषि तकनीकों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराने तथा प्रायोगिक जानकारी दिलवाने के लिए तकनीकी रूप से अग्रणी देशों में भेजा जाता है।

लाभ किसे और कितना– सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को विदेश अध्ययन यात्रा में प्रचलित किए जाने पर कुल व्यय का 90 प्रतिशत अजजा एवं वर्ग के कृषकों को 75 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है।

पिछले सालों में इस यात्रा के विभिन्न दल उन्नत कृषि, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी का अध्ययन करने के लिए भेजे गए।

वर्ष 2013–14 में आस्ट्रेलिया–न्यूजीलैंड, ब्राजील–अर्जेन्टीना, फिलिपिन्स,–ताईवान देशों के भ्रमण पर 20–20 कृषक, 1–1 वैज्ञानिक एवं 1–1 नोडल अधिकारी भ्रमण कर चुके हैं। वर्ष 2014–15 में जर्मनी–इटली, हॉलैंड यात्रा पर क्रमश 21 एवं 19 कृषक, 1–1 वैज्ञानिक एवं 1–1 नोडल अधिकारी विदेश यात्रा कर चुके हैं। इससे इन किसानों का विश्वास और बढ़ गया है और अब वह पहले से अधिक बेहतर तरीके से खेती कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना

प्रगतिशील किसान नवीन कृषि शोध का प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं लेकर, अन्य कृषकों तक उन्नत तकनीकों को पहुंचाएं, इस उद्देश्य से राज्य के बाहर, राज्य के अंदर एवं जिले के अंदर चयनित खेत तीर्थ स्थलों पर एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विश्वविधालय पर उन्नत तकनीकी मॉड्यूल्स के अवलोकन के लिए कृषकों का भ्रमण कराया जाता है।

योजना का लाभ किसे –

योजना अंतर्गत किसानों को राज्य के बाहर, राज्य के अंदर एवं जिले के अंदर चयनित खेत तीर्थस्थलों पर एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालय पर उन्नत तकनीकी मॉड्यूल्स के अवलोकन के लिए कृषकों का भ्रमण कराया जाता है तथा प्रगतिशील किसानों के साथ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन दिलवाया जाता है।

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)

विस्तार सेवाओं में सुधार एवं मजबूती को ध्यान में रखते हुए नवीन योजना विस्तार कार्यक्रम आत्मा भारत सरकार की सहायता से वर्ष 2005–06 में शुरू की गई थी। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी हिस्सा बनी।

वर्ष 2014–15 से विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) को सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (MAE) के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त मिशन नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं टेक्नालाजी (NMAET) का सब मिशन है।

इसके अतिरिक्त NMAET के अंतर्गत तीन अन्य मिशन निम्नानुसार है –

1. सब मिशन ऑन सीड एवं प्लाटिंग मटेरियल (SMSP)
2. सब मिशन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (MAM)
३. सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वोंरटाइन (MPP)

सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े समस्त पहलू एवं अन्य योजनाएं जैसे (**Griclinic And Agri Business Centre)** किसान कॉल सेंटर, मैनेज द्वारा प्रवर्तित मानव संसाधन विकास, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट मॉडल ट्रेनिंग कोर्सेस, प्रक्षेत्र सूचनाएं, (मेला प्रदर्शनी आदि) SMAE का भाग होंगे। अन्य सबमिशन की गतिविधियां जो कि आत्मा द्वारा क्रियान्वित होंगी, का वितरण निम्नानुसार है

SMSP	SMAE	SMAM	SMPP
बीज ग्राम कार्यक्रम	प्रक्षेत्र पाठशाला, प्रदर्शन प्लाट, प्रशिक्षण, भ्रमण	क्षमता विकास राज्य सरकार द्वारा चिंहित संस्थाओं में	कीट समीक्षा, फार्म फील्ड स्कूल, कृषकों हेतु IPM प्रशिक्षण

- "आत्मा" योजना अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां कृषक, प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषि विज्ञान मेला, किसान संगोष्ठी, प्रदर्शन, फार्म स्कूल कला जत्था के माध्यम से किसानों तक कृषि की नवीनतम तकनीकी पहुंचाने का कार्य किया जाता है।
- भारत सरकार सहायतित विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा अंतर्गत प्रदेश में 25,890 कृषक मित्रों को चिंहित कर कृषि विस्तार कार्य से जोड़ा गया है एवं प्रत्येक कृषक मित्र को दायित्व निर्वहन भत्ते के रूप में राशि रु 6000.00 प्रति वर्ष दिया जा रहा है जिसमें 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा एवं 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।
- समस्त जिलों में कृषि महोत्सव 2015 के साथ कृषि विज्ञान मेलों का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान मेलों एवं संगोष्ठियों में किसानों की कृषिगत समस्याओं का त्वरित निराकरण कृषि वैज्ञानिकों ने किया।
- आत्मा योजना अंतर्गत सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार, राज्य स्तर पर 50–50 हजार रुपए, जिला स्तर पर रु .25 हजार, विकासखंड स्तर पर रु 10 हजार प्रत्येक एवं सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार राशि रु 20 हजार (प्रत्येक समूह) से सम्मानित किया जाता हैं।
- नवाचार गतिविधियों में ई–पाठशाला, सोलर लाइट ट्रेप, श्री पद्यति से गेहूं, धान एवं सरसों की खेती, मधुमक्खी पालन, प्लास्टिक मलचिंग, हाइब्रिड निपियर घास, एजोला उत्पादन, रेशम विभाग द्वारा सर्विस प्रोवाइडर की मदद से रेशन उत्पादन कार्य, धान में नील हरित शैवाल का प्रयोग, नेट शेड हाउस, फसल में रिज एण्ड फरो मेथड, स्वीट कार्न, उत्पादन, अरहर की धारवाड़ पद्वति आदि गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
- योजनान्तर्गत सीहोर जिले के ग्राम राजुखेडी में एवं ग्राम मानेगांव विकासखंड गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में पीपीपी मोड में रेडियो स्टेशन संचालित किया जा रहा हैं।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 16 संस्थाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री खेत सिंचाई योजना अंतर्गत एक्सटेंशन गतिविधियां आयोजित करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रशिक्षण, भ्रमण, क्षमता विकास प्रशिक्षण, नवाचार, कार्यशाला, आदि गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

साक्षात्कार	अपने जिले / ब्लॉक या पहचान के किसी ऐसे किसान से संपर्क करें जिन्होंने मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा के तहत विदेश का या आत्मा परियोजना के तहत दूसरे क्षेत्रों का अध्ययन भ्रमण किया हो। उनके विस्तार पूर्वक यह जानने की कोशिश करें कि इससे उन्हें क्या लाभ हुआ और इसका उन्होंने अपनी किसानी में कैसे उपयोग किया?
भ्रमण	ऐसे किसानों को पता करें जिन्होंने खेत तीर्थ या ऐसी ही प्रयोग करके अपने खेतों को उन्नत बनाया है। उनके खेत में जाकर उनसे बातचीत करके यह पता लगाएं कि उन्होंने अपनी खेती को ऐसा बनाने के लिए क्या–क्या प्रयोग किए ?
आत्मा परियोजना	आत्मा परियोजना के अंतर्गत ऐसे किसी किसान से बातचीत करें कि उन्हें इस योजना से जुड़कर कैसा लगा। और उन्हें क्या फायदा हुआ इसके लिए आप अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की मदद भी ले सकते हैं।
कृषक मेलों में भागीदारी	अपने आसपास लगने वाले कृषक मेलों में भागीदारी करें और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाएं।
पुरस्कार प्राप्त किसान	अपने आसपास रहने वाले ऐसे किसान जिन्हें किसी भी तरह का कृषि पुरस्कार मिला है, उसके साथ समुदाय की एक छोटी सी बैठक रखवाएं एवं उनके साथ किसानों का एक संवाद आयोजित करें। इसमें आप सहजकर्ता की भूमिका निभाएं। अखबारों के लिए ऐसे किसानों का समाचार तैयार करें और उसे प्रकाशित करवाने की कोशिश करें। इसमें किसानों की सफलता की कहानियों को भी उकेरने की कोशिश करें, संभव हो तो किसान का सीधे मीडिया से भी संवाद करवाएं।

मध्यप्रदेश में जैविक खेती विकास कार्यक्रम

सतत् विकास लक्ष्य का एक बिंदु भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना, और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलना है। इसके अंतर्गत 2030 तक लचीली कृषि प्रथाएं क्रियान्वित करना, उत्पादन में वृद्धि करना, पारिस्थितीय प्रणाली को बनाए रखने में मदद करना, जलवायु परिवर्तन एवं विपदाओं के अनुसार ढाल सकने की क्षमता, भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना भी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जैविक खेती एक प्रमुख अवयव है।

देश में जैविक खेती के कुल रकबे का लगभग 40 प्रतिशत मध्यप्रदेश में है। अतः उत्पादन तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। वर्ष 2011 में प्रदेश की अपनी जैविक कृषि नीति बनाई गई है। जैविक खेती विकास के संबंध में निर्णय लेने के जैविक खेती विकास परिषद का गठन प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया गया है। किसानों को जैविक कृषि पद्यति अपनाने के लिए कई सुविधाएं प्रदेश में दी जा रही हैं तथा उत्पादों के लाभकारी विपणन के लिए जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण की व्यवस्था है, जिसमें पंजीयन कराने के लिए भी निर्धारित शुल्क में राज्य सरकार द्वारा छूट व अनुदान दिए जाते हैं।

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना

समन्वित पोषक तत्व प्रबन्धन एवं उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है। समस्त श्रेणी के कृषक इन सुविधाओं के लिए पात्रता रखते हैं।

क्र.	किसानों को क्या लाभ	कितनी सहायता दी जाती है
1	आर्गेनिक फार्म फील्ड स्कूल	रु 17000 प्रति एफएफएस
2	एक दिवसीय जैविक कार्यशाला	एक दिवसीय कार्यशाला के लिए रूपए 3 लाख मात्र
3	राज्य के अंदर कृषक भ्रमण/प्रशिक्षण	30 किसानों के लिए कुल रु 90 हजार प्रत्येक भ्रमण
4	भ्रमण राज्य स्तर	30 किसानों के लिये राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण भ्रमण के लिये रु 1.80 लाख प्रत्येक प्रशिक्षण भ्रमण
5	एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण जिला स्तर पर	एक दिवसीय 30 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु रूपए 1000 का प्रावधान
6	वर्मी कम्पोस्ट	वर्मी कम्पोस्ट निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु 3000 जो भी कम हो
7	जैव कीटनाशक	लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु 500
8	जैव उर्वरक/हार्मोन्स	लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु 500

जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण संस्था –राज्य के किसानों जैविक कृषि उत्पादन प्रमाणीकृत करने के लिए कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक उत्पादों का राष्ट्रीय एवं अंतरास्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण करना है।

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम

संयंत्र निर्माण पर अनुदान–

समस्त प्रदेश में केन्द्र शासन द्वारा 1 घन मीटर से 4 घन मीटर क्षमता तक के बायोगैस संयत्रों पर निम्नानुसार अनुदान देय है :–

- 1. घनमीटर क्षमता के संयंत्रों पर स्वीकृत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु.7000– प्रति संयंत्र
- 2. से 4 घनमीटर क्षमता के संयंत्रों पर स्वीकृत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 11000–प्रति संयंत्र।
- शौचालय से जोड़े गए संयंत्रों पर रु 1000–प्रति संयंत्र के मान से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देय है।
- बायोगैस संयंत्र से डीजल इंजन चलाने हेतु अधिकतम राशि रु 5000 – प्रति संयंत्र अनुदान प्लास्टिक रबर बेलून कंटेनर तथा बायोगैस परिवहन हेतु।
- ताप अप अनुदान –1 से 5 घनमीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर सभी हितग्राहियों को प्रति संयंत्र रु 2500–का टाप अप अनुदान राज्य शासन की ओर से देय है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

जैविक खेती करने वाले किसानों से संवाद	ऐसे किसानों से बातचीत करें जो जैविक खेती कर रहे हैं, उन्होंने यह कब से शुरू किया, उनके क्या अनुभव रहे। जैविक खेती और स्वास्थ्य का क्या जुड़ाव है, इस बिंदु पर पता लगाए।
	रासायनिक खेती और जैविक खेती का अपने आसपास तुलनात्मक अध्ययन करें।
जैविक कृषि फार्म का भ्रमण	**अपने आसपास के जैविक खेती वाले किसानों के किसी एक खेत का भ्रमण करें और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें।**

मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना (मापवा)

कोई भी विकास प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि उसमें महिलाओं की भी समान भागीदारी न हो। किसानी में मेहनत वाला ज्यादातर हिस्सा महिलाओं के हिस्से आता है, खेत में पूरे दिन धान का रोपा लगाने से लेकर घास काटने तक में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन जहां पर निर्णय लेने की बात आती है तो ऐसा माना जाता है किसानी केवल आदमियों के हिस्से का काम है। इसलिए जब भी कोई खेती से संबंधित निर्णय की बात आती है तब उसे केवल मर्दों के हिस्से का माना जाता है। जब भी कोई किसान कहकर संबोधित करता है तो वह किसान भाईयों ही कहकर संबोधित करता है। विज्ञापनों में तस्वीर ज्यादातर आदमियों की ही आती है।

इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को खेती में पूरा–पूरा हिस्सा और अधिकार दिया जाए। उन्हें सम्मान दिया जाए, उन्हें निर्णयों में स्थान दिया जाए। मापवा योजना एक ऐसी योजना है जो खेती में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाती है। यह योजना मध्यप्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 से लागू की गई। योजना के अनुभवों को देखते हुए इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी निरंतर चालू रखा गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से लेकर 2017–18 तक आठ सौ लाख का बजट प्रावधान है। मापवा का मुख्य उद्देश्य महिला कृषकों के जीवयापन स्तर में सुधार कर उसमें स्थायित्व लाना है। महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनीक चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिये योजना संचालित है, जिससे कि महिला कृषकों के जीवन स्तर में सुधार हो तथा उनमें निर्णय क्षमता का विकास हो सके।

महिलाओं के लिए बैंच मार्क सर्वे, तकनीकी प्रशिक्षण, स्व सहायता समूहों का गठन प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण एवं अंतर जिला अध्ययन भ्रमण आयोजित किए जाते हैं। सभी वर्ग की महिला कृषक इस हेतु पात्र हैं।

चयन कैसे होता है

एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र के 2 से 4 ग्रामों में से प्रशिक्षण के लिये 25 कृषक महिलाओं का चयन कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के साधन, पशुधन आदि सूचकों को आधार मानकर लघु सीमांत परिवारों की 50 महिला कृषकों का सर्वे करके किया जाता है। योजना में भाग लेने के लिये स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय में पदस्थ एक सहायक संचालक कृषि को नोडल अधिकारी (मापवा) को दायित्व दिया गया है।

प्रायोगिक कार्य

सूची बनाएं	**खेती के पूरे चक में महिलाओं और पुरूषों के काम की अलग–अलग सूची बनाएं, और विश्लेषण करें कि किसके हिस्से ज्यादा काम हैं, वह किस प्रकार के हैं ?**
साक्षात्कार	अपने क्षेत्र की ऐसी महिला किसानों का साक्षात्कार लें, जो खेती में अच्छा काम कर रही हैं, उनकी स्टोरी लोकल मीडिया के साथ लिखकर साझा करें।

ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना

1. केंद्र पोषित योजनान्तर्गत ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना–

1. **स्प्रिंकलर सेट**– समस्त वर्ग के कृषकों को डी.पी.ए.पी.पर 50, 35 प्रतिशत या अधिकतम रु. 9800 –प्रति सेट एवं नॉन डी.पी.ए.पी पर 35,25 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु 6800– जो भी कम हो अनुदान देय है।

2. **ड्रिप सिंचाई**–समस्त वर्ग के कृषकों को डी.पी.ए.पी. पर 50,35 प्रतिशत या अधिकतम रु 42700 – प्रति हेक्टेयर एवं नॉन डी.पी.ए.पी पर 35,25 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु 29890 – प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो अनुदान देय है।

3. **मोबाइल स्प्रिंकलर रेन गन**–समस्त वर्ग के कृषकों को लागत का 50 एवं 35 प्रतिशत या अधिकतम रु 15800 –प्रति सेट जो भी कम हो अनुदान देय है।

लघु सिंचाई (नलकूप)

राज्य पोषित नलकूप खनन योजना प्रदेश की सहायता से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए संचालित की जा रही है। योजना में नलकूप खनन हेतु लागत का 75 अधिकतम राशि रु. 25,000 – (पच्चीस हजार) जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। सफल नलकूप पर सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए लागत का 75 अधिकतम राशि रु.15000 –(रु पन्द्रह हजार) जो भी कम हो अनुदान देय है।

राज्य माइक्रो इरीगेशन मिशन योजना

योजना यह है –

उपलब्ध सिंचाई जल का अधिकतम उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है।

योजना का लाभ किसे मिलेगा –

समस्त वर्गो के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो इस योजना के हितग्राही हैं।

क्या लाभ मिलता है –

- **स्प्रिंकलर** : – लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु. 12000 –प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो, अनुदान।
- **ड्रिप सिंचाई** : – लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु. 40000– प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो, अनुदान।
- **मोबाइल रेनगन** : – लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु.15000–प्रति रेनगन ,जो भी कम हो, अनुदान।

बलराम ताल योजना

बलराम ताल निर्माण का उद्देश्य सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना है। ये तालाब किसानों द्वारा स्वयं के खेतों पर बनाए जाते हैं, इनसे फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई तो की ही जा सकती है, किन्तु भू–जल संवर्धन तथा समीप के कुओं और नलकूपों को चार्ज करने के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी सिद्द हुए हैं।

योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में संचालित है जिसमें सभी वर्ग के पात्र किसानों को ताल निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ चयनित कृषक केवल एक बार ही ले सकते हैं। इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दिए गए आवेदन के आधार पर उनका पंजीयन किया जाता है। ताल की तकनीकी स्वीकृति जिले के उप संचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्रदाय की जाती है।

अनुदान हेतु ताल निर्माण होने पोअर प्रथम आएं–प्रथम पाएं के आधार पर वरीयता दी जाती है। बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर पात्रता अनुसार निम्न अनुदान देने का प्रावधान है

- सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु 80,000–
- लघु सीमांत कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु 80,000–
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु.1.00.000–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में हितग्राही मूलक निम्नानुसार प्रोजेक्ट स्वीकृत है:

1. **डीजल/विद्युत पंप वितरण–**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत डीजल, विद्युत पंप के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को 5 से 10 हार्स पावर के डीजल विद्युत पंप हेतु लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या रूपए 10,000 –जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है। यह प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित है।

2. **नलकूप खनन पर अनुदान –**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के समस्त कृषकों को नलकूप खनन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या रूपए 25,000– जो भी कम हो, अनुदान देय है। सफल नलकूपों पर पंप स्थापित करने हेतु लागत का 50 प्रतिशत या रुपए 15,000– जो भी कम, हो अनुदान दिया जाता है।

3. **प्रमाणित बीज वितरण अनुदान –**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत खरीफ की खाद्यान फसलों की किस्मों के लिए रूपए 15000 प्रति क्विंटल एवं रबी फसलों की किस्मों के लिए रुपए 1000 प्रति क्विंटल,दलहन फसल के लिए रुपए 25000 प्रति क्विंटल तथा सोयाबीन फसल के लिए रुपए 500 प्रति क्विंटल बीज वितरण अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

4. **धान (एस.आर.आई) उत्पादन वृद्दि –**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत धान के क्षेत्र में उत्पादन वृद्दि हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लघु सीमांत कृषक के लिए एस.आर.आई. पद्यति को बढ़ावा देने के लिये कम्पोजिट नर्सरी तैयार करने हेतु 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी लगाने के लिये रुपए 8500– अनुदान देय है।

5. **ग्वार क्लस्टर प्रदर्शन –**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्य के मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी तथा भिण्ड जिलों में ग्वार कलस्टर प्रदर्शन हेतु 0.4 हेक्टेयर के प्रदर्शन के लिए बीज तथा उपचार, जिप्सम, माइक्रो न्यूट्रियेंट्स, पीपी केमिकल्स, तथा फील्ड डे, किसान गोष्ठी के लिए प्रति प्रदर्शन रुपए 1650– का प्रावधान रखा गया है।

6. **वनग्रामों में पट्टा अधिकार रखने वाले आदिवासियों को कृषि विभाग द्वारा सहायता–**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वनग्रामों में पट्टा अधिकार रखने वाले आदिवासियों को प्रमुख रूप से चना फसल के प्रदर्शन के लिए सभी कृषकों को सीड मिनिकिट, जिप्सम, माइक्रो न्यूट्रियेंट्स, राईजोबियम कल्चर, पीएसबी, कल्चर, यूरिया, फंजिसाइड बीज उपचार के लिए, इंसेक्टिसाइड्स, फंजिसाइड, बायोएजेक्ट बायोपेस्टीसाइड, वीडीसाइड तथा पेस्ट सर्वेलेन्स के लिए रूपए 5600 प्रति हेक्टेयर का प्रावधान किया गया है।

7. श्योपुर, डिंडौरी, शिवपुरी, तथा छिंदवाड़ा जिले के सहरिया, भारिया तथा बैगा प्राचीन आदिवासियों को कृषि के एकीकृत विकास का प्रोजेक्ट

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सभी कृषकों को एक हेक्टेयर तक के प्रदर्शन के लिए खरीफ में धान हेतु रुपए 7500–प्रति हेक्टेयर, तुअर हेतु रुपए 5400– प्रति हेक्टेयर, उड़द हेतु रुपए 4800 –प्रति हेक्टेयर एवं मूंग हेतु रुपए 4800 –प्रति हेक्टेयर और रबी में चने पर रुपए 5600, – प्रति हेक्टेयर का प्रावधान रखा गया है।

एन.जी.टी– मध्यप्रदेश में राज्य जैविक खेती विकास (परिषद समिति का गठन / पंजीयन दिनांक 11–03–2014) को किया गया है।

वर्ष 2015–16 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशानुसार नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से 5 जिलों क्रमश :– जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर एवं बड़वानी के 1–1 विकासखण्ड को पायलट रूप में लिया गया है।

अनुदान व प्रशिक्षण प्रावधान –

- वर्मी कम्पोस्ट पिट–अधिकतम रु.3000 – प्रति पिट अनुदान देय है।
- आर्गेनिक फार्म फील्ड स्कूल–फार्मफील्ड स्कूल के माध्यम से उन्नत तकनीकों से अवगत कराना एवं फसलों से ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके इस हेतु प्रति फार्मफील्ड स्कूल के लिए 17000 रूपए का प्रावधान है।
    - दो दिवसीय गौशाला प्रशिक्षण–राशि रु.18000– प्रति प्रशिक्षण का प्रावधान है।
    - राज्य स्तरीय जैविक हाट, मेला के लिए राशि रु 10.00 लाख प्रति हाट / मेला का प्रावधान है।
    - जिला स्तरीय कार्यशाला–प्रतिकार्य शाला रु 20000 – का प्रावधान है।
    - हरी खाद बीज वितरण–प्रति क्विंटल दर रु 5000 – प्रति किन्तु वास्तविक दर का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु 2500 – प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो अनुदान देय है।

अनुदान पर कृषकों को स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं पाइप लाइन का वितरण –

योजना में भारत सरकार की एन.एम.एस.ए.योजना के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार अनुदान का प्रावधान है–

1. **स्प्रिंकलर**

1.1 डीपीएपी जिलों के लिए–

कुल स्थापना लागत रु. 19600–प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु लागत का 50 प्रतिशत या रु.9800–प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो। अन्य कृषकों हेतु लागत का 35 प्रतिशत या रु.6860–प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो।

1.2 नॉन डी.पी.ए.पी जिलों के लिए–

कुल स्थापना लागत रु 19600 – प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु लागत का 35 प्रतिशत या रु.6860– प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो। अन्य कृषकों हेतु लागत का 25 प्रतिशत या रु.4900– प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो।

2. ड्रिप सिंचाई –

2.1. डी.पी.ए.पी जिलों के लिए लाइन की दूरी 1.2 मीटर से अधिक किन्तु 2 मीटर से कम होने पर –

कुल स्थापना लागत रु. 85400 –प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु स्थापना लागत का 50 प्रतिशत या रु 42700–प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो। अन्य कृषकों हेतु लागत का 35 प्रतिशत या रु.29890 –प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो।

2.2 नॉन डी.पी.ए.पी जिलों के लिये लाइन की दूरी 1. 2 मीटर से अधिक किन्तु 2 मीटर से कम होने पर –

कुल स्थापना लागत रु.85400 –प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु स्थापना लागत का 35 प्रतिशत या रु.29890–प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो। अन्य कृषकों हेतु लागत का 25 प्रतिशत या रु.21350 –प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो।

3.सिंचाई पाइप लाइन, पी.व्ही.सी., एच.डी.पी.ई.पाइप्स :

अनुमानित दर रु .25– प्रति मीटर। लागत का 50 प्रतिशत या 600 मीटर लंबाई हेतु रु.15000 – जो भी कम हो।

मैदानी/प्रायोगिक कार्य

क्षेत्रभ्रमण	**अपने कार्यक्षेत्र के गांव में पानी की उपलब्धता का मूल्यांकन करें। यह जानने की कोशिश करें कि अब से पचास साल पहले पानी की क्षेत्र में क्या स्थिति थी और अब क्या है ?**
	समुदाय के साथ बातचीत के बाद यह जानने की कोशिश करें कि वर्तमान खेती का चक्र पानी की उपलब्धता के अनुकूल है या नहीं।
	पानी के उचित उपयोग पर समुदाय के साथ बातचीत करें।
सरकारी योजनाओं का प्रभाव	सरकार पानी के समुचित उपयोग के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनका अध्ययन आपने इस इकाई में कर चुके हैं। अपने आसपास ऐसे कृषकों का काम जानने की कोशिश करें जोकि ऐसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे उनकी खेती पर क्या असर हो रहा है।
	बुजुर्ग कृषकों से गांव में तालाबों के महत्व पर बातचीत करें, साथ ही यह देखें कि ऐसे पानी के स्त्रोत क्यों सूखते चले गए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

सतत् विकास लक्ष्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वर्ष 2030 तक हमें हर हालात में भुखमरी को दूर करना है। तमाम कोशिशों के बाद भी देश में खाद्यान्न एक चुनौती बना हुआ है। यह केवल इस नजरिए से नहीं कि लोगों को रोटी मिल पा रही है अथवा नहीं वह इस नजरिए से भी है कि क्या लोगों को पर्याप्त पोषण मिल पा रहा है या नहीं ? जब हम अन्न की बात करते हैं तो सहज रूप से हमें दाल–चावल आदि अनाज ही सामने आते हैं, लेकिन जब हम संपूर्ण पोषण की बात करते हैं तो इसमें दालों, सब्जियों से लेकर हर तरह का पोषण भी सामने आता है। इसलिए सरकार ने एक मिशन के जरिए न केवल चावल और गेहूं बल्कि दलहनी और तिलहनी फसलों पर भी पूरा जोर दिया है।

वर्ष 2007–8 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) शुरू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 5 घटक है, जो निम्न हैं –

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.–धान)

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम–गेहूं)

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम–दलहन)

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम–मोटा अनाज–.मक्का, बाजरा,एवं लघु अनाज)

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम–नगदी फसलें–कपास एवं गन्ना)

मध्यप्रदेश में यह योजना एक अक्टूबर 2007 से प्रारंभ हुई है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं एवं दलहन सम्मिलित किए गए हैं। वर्ष 2008–09 से धान को तथा 12वी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 से मोटा अनाज एवं नगदी फसलों को भी सम्मिलित किया गया है।

मिशन के मुख्य उद्देश्य राज्य के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत् रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूं और दलहनों के उत्पादन में बढोत्तरी करना, मृदा उर्वरता और उत्पादकता का संरक्षण करना, रोजगार अवसरों का सृजन तथा प्रक्षेत्र पर आर्धिक लाभ बढ़ाना ताकि किसानों को आत्म विश्वास पैदा हो सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भारत सरकार के 60 रू 40 प्रतिशत केंद्र एवं राज्य की सहभागिता से चल रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान–8 जिलों कटनी, मंडला, डिण्डौरी, दमोह, पन्ना, सीधी, रीवा तथा अनूपपुर में चल रही है।

गेहूं के लिए 16 जिले शामिल किए गए हैं, इनमें अशोकनगर, छतरपुर, गुना, कटनी, खंडवा, पन्ना, रायसेन, राजगढ़ ,रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ तथा विदिशा शामिल हैं।

दलहन मिशन सभी 51 जिलों में चलाया जा रहा है। मोटा अनाज 16 जिलों छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी ,सिंगरौली ,धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, मंदसौर, शाजापुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, बैतूल तथा रतलाम में संचालित है। कपास के लिए छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, रतलाम और देवास शामिल हैं। तथा गन्ना में प्रदेश के आठ जिलों में–नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ग्वालियर जिले सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत दलहन, धान, गेहूं, मोटा अनाज एवं नगदी फसलों में कलस्टर डिमोन्सट्रेसन, प्रमाणित बीज का वितरण, आई.एन.एम घटक अंतर्गत कार्यक्रम, संसाधन संरक्षण यंत्र वितरण, सिंचाई यंत्र वितरण, डीजल पम्प वितरण, फसल आधारित प्रशिक्षण, दलहन, गेहूं एवं मोटा अनाज अंतर्गत पाइप लाइनों का वितरण एवं धान अंतर्गत उडावनी पंखा, पेडी, मल्टी थ्रेसर सेल्फ प्रोपोल्ड पेडी ट्रांसप्लांटर वितरण एवं कस्टम हायरिंग आदि प्रमुख घटक हैं।

इनमें दिए जाने वाले अनुदानों का वितरण निम्नानुसार है –

क्र	घटक	अनुदान का विवरण	रा खा.सु.मि. के अंतर्गत जिन फसलों के लिए लागू है			
			धान	गेहूं	चावल	मोटे अनाज
1	फसल प्रदर्शन					
1.1	उन्नत आदान प्रदर्शन– धान/गेहूं /कपास	रु. 7500 – प्रति हेक्टर	✓	✓	✓	
1.2	उन्नत आदान प्रदर्शन – मोटा अनाज	रु. 5000/– प्रति हेक्टर	✓	✓	✓	
1.3	प्रदर्शन फसल पद्धति आधारित	रु. 12500/–प्रति हेक्टर	✓	✓	✓	

2	**बीज वितरण –**					
2.1	विपुल उत्पादक किस्में–धान तथा गेहूं	रु. 10/– प्रति किलो या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
2.2	विपुल उत्पादक किस्में– दलहन	रु. 25/– प्रति किलो या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
2.3	संकर किस्में धान व मोटा अनाज	रु. 50/– प्रति किलो या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
2.4	विपुल उत्पादक किस्में– मोटा अनाज	रु. 15/– प्रति किलो या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3	**प्रक्षेत्र यंत्रीकरण**					
3.1	कोनीवीडर	रु. 600/– प्रति यंत्र	✓	✓	✓	
3.2	हस्तचालित रुपए/नेपसेक/ पद चालित	रु. 600/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.3	धान का ड्रम सीडर	रु. 1500/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.4	पावर स्प्रेयर	रु. 3000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	

3.5	हस्त चालित चेफ कटर	रु. 5000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.6	गहरी जुताई के लिए चीसलार	रु. 8000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.7	स्प्रिंकलर सेट	रु. 10,000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.8	पंप सेट –10 हार्स पावर तक	रु. 10,000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.9	ट्रेक्टर मोंटेक स्प्रेयर	रु 10,000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.10	सीडड्रिल	रु15,000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.11	जीरो टिल सीडड्रिल	रु 15,000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.12	मल्टी ती क्रॉप	रु. 15,000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.13	जीरो टिल मल्टी क्राप प्लान्टर	रु. 15,000/– प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो	✓	✓	✓	

		भी कम हो				
3.14	जीरो फरो प्लान्टर	रु.15,000 / — प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.15	पावर वीडर	रु.15,000 / — प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.16	पाइप लाइन	रु.25,000 / — प्रति मीटर या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम होद्य अधिकतम सीमा 600 मीटर तथा अधिकतम लागत रु. 15,000 / —	✓	✓	✓	
3.17	मोबाइल रेन गन	रु.15,000 / — प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.18	शक्ति चालित चेफ कटर	रु.20,000 / — प्रति यंत्र या कीमत 75 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.19	रोटावेटर / टर्बो सीडर	रु.35,000 / — प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.20	पैडी थ्रेशर / मल्टी क्रॉप थ्रेशर	रु.40,000 / — प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.21	लेसर लेंड लेवेलर	रु.1.50,000 / — लाख प्रति				

			✓	✓	✓	
3.22	सफल प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लांटर	रु.75,000 / – प्रति यंत्र या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
4	**पौध संरक्षण**					
4.1	पौध संरक्षण रसायन व बायो पेस्बेसईड्स	रु.500 / – प्रति हेक्ट या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो	✓	✓	✓	
4.2	बीडीसईड्स	रु.500 / – प्रति हेक्ट या कीमत 50 प्रतिशत जो भी कम हो ।	✓	✓	✓	
5	**सूक्ष्म पोषक तत्व और भूमि सुधारक तत्व**					
5.1	जिप्सम / फास्फो जिप्सम / बेन्टीसाइट सल्फर	कीमत 50 प्रतिशत या रु. 500 / – प्रति हेक्ट जो भी कम हो।	✓	✓	✓	
5.2	माइक्रो न्यूट्रीएट्स	कीमत 50 प्रतिशत या रु. 500 / – प्रति हेक्ट जो भी कम हो।	✓	✓	✓	
5.3	बायो फर्टिलाइजर्स (राइजोबियम पीएसबी)	कीमत 50 प्रतिशत या रु. 300 / – प्रति हेक्ट जो भी कम हो।	✓	✓	✓	

इसके अतिरिक्त राखासुमि– कपास में विभाग की ओर से अग्र पंक्ति प्रदर्शन– देसी और ईएलएस कपास ईएलएस कपास बीज उत्पादन (10 हेक्ट के चक में) हेतु कुल रू. 8000 प्रति हेक्ट, प्रदर्शन अंतरवर्ती खेती (10 हे के चक में) हेतु कुल रू. 7000 प्रति हे तथा सघन पौध रोपण पद्धति की ट्रायल्स (10 हे के चक में) हेतु कुल रू. 9000 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है।

गन्ना आधारित फसल पद्धति के लिए गन्ने के अन्तरवर्ती खेती पर प्रदर्शन और सिंगल बड चिप तकनीकी (10 हे के चक में) प्रदर्शन के लिए रू. 8000 प्रति हे तथा 20 अधिकारियों के दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु रू. 40,000 प्रति प्रशिक्षण का प्रावधान है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

भ्रमण	**अपने इलाके में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का पता लगाईये। समुदाय से बातचीत में यह निकालिए कि पहले कितने प्रकार का अन्न पैदा होता था, और अब कितने प्रकार का अन्न पैदा किया जाता है ?** **क्या हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को सहजता के साथ पेट भरने लायक भोजन प्राप्त हो जाता है ?** **यदि नहीं तो इसके लिए क्या करना चाहिए ?**
अनाज का वितरण	क्या हमारे यहां परंपरागत रूप से कुछ अलग प्रकार का भोजन थाली में शामिल था। यदि इसकी उपलब्धता है तो क्या वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल है ?
संवाद से पता कीजिए	क्षेत्र में दलहन फसलों के उत्पादन का पता कीजिए, क्या घर में खाने लायक दलहनी फसलें उपजा ली जाती है, या उसके लिए बाजार पर निर्भरता हो गई है, क्षेत्र में पिछले दशक में दालों का उत्पादन घटा है या बढ़ा है ?
	समुदाय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में बताईये और अन्य जिलों के आधार पर लोगों की राय लीजिए कि वह सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं ?

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.)

सतत् विकास लक्ष्यों में इस बात को भी शामिल किया गया है कि खेती का मौजूदा ढांचा टिकाऊ या स्थायी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उत्पादकता में एक किस्म की बराबरी होनी चाहिए, ऐसा न हो कि किसी साल तो बहुत अच्छी फसल हो गई और किसी साल बिलकुल भी नहीं। ऐसा तभी संभव है जब उत्पादन के साधनों पर किसान की निर्भरता स्वयं की हो। ऐसा तभी संभव है जबकि खेती के हर हिस्से में बेहतर काम किया जाए।

भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.) वर्ष 2014–15 से क्रियान्वित की जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एवं जल को संरक्षित कर उसका समुचित उपयोग करना एवं वर्षा आश्रित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन लेना, न्युट्रिएन्ट मैनेजमेंट, लाइवलीहुड, इंट्रीग्रेटेड फार्मिंग, स्वाइल–हेल्थ मैनेजमेंट आदि का समावेश किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, समन्वित, मिश्रत खेती को चित बढ़ावा देने के साथ–साथ प्रभावी जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति करना है।

मिशन अन्तर्गत निम्नानुसार घटक हैं –

- रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (आर.ए.डी.)
- स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट (एस.एच.एम.)
- ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट (ओ.एफ.डब्ल्यू.एम.)
- सब मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर मानिटरिंग. मॉडलिंग एण्ड नेटवर्क (सी.सी.एस.एम.एम.एन.)

मिशन के क्रियान्वयन में कृषि विभाग के अलावा पशु चिकित्सक एवं पशुपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं मत्स्य विभाग की भागीदारी है। मिशन अन्तर्गत क्लस्टर आधारित कार्य चयन किया प्रस्तावित है, जिसमें कम से कम 100 हेक्टेयर क्षेत्र में चयन किया जाना है। मिशन अन्तर्गत प्रति परिवार अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिये सहायता दी जा सकती है, जिसकी वित्तीय सीमा अधिकतम रू.1.00 लाख होगी।

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑइल पाम मिशन

केंद्र सरकार ने तिलहन की पैदावार बढ़ाने, खाद्य तेलों का आयात घटाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया था। इसके बाद दलहन, आयल पाम और मक्का को भी क्रमशः 1990–91, 1991–92 और 1995–96 में प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत लाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड भी गैर–परंपरागत तिलहनों के नए क्षेत्र खोलकर तिलहन, दलहन और मक्का प्रौद्योगिकी मिशन के प्रयासों में सहयोग देता रहा है। यह वृक्षों से प्राप्त होने वाले तिलहानों को प्रोत्साहन दे रहा है।

मध्यप्रदेश में तिलहन और पॉम आइल मिशन को बढ़ावा देने के लिए योजना एक मिशन के रूप में चलाई जा रही है। इसका नाम है राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन (एमएम–1) इस योजना का मकसद प्रदेश में तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह योजना 2014–15 से शुरू की गई है, इसमें केन्द्र और राज्य की मिली–जुली भागीदारी है। **इसमें साठ प्रतिशत की राशि केन्द्र की ओर से दी जाती है तथा शेष राशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाती है। यह प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है।**

योजनान्तर्गत क्रियान्वित घटक एवं देय अनुदान प्रक्रिया–

घटकों के नाम	इकाई	अनुदान सहायता विवरण पत्र हितग्राही
प्रजनक बीज खरीदी	क्विं	प्रजनक बीज भारत सरकार कृषि मंत्रालय के बीज डिविजन के द्वारा निर्धारित मूल्य का 100 प्रतिशत राशि आई.सी.ए.आर., एस.ए.यू.एस. आदि से राज्य बीज निगम/ संस्था के खरीदने का प्रावधान।
आधार बीज उत्पादन	क्विं	राशि रू. 1000– प्रति क्विं. 10 वर्ष तक की प्रजाति हेतु एवं 5 वर्षों तक की प्रचलित प्रजाति हायब्रिड के लिए राशि रू.100– प्रति क्विं. अतिरिक्त सहायता का प्रावधान।
प्रमाणित बीज उत्पादन	क्विं	राशि रू. 1000– प्रति क्विं. 10 वर्ष तक की प्रजाति हेतु एवं 5 वर्षों तक की प्रचलित प्रजाति हायब्रिड के लिए राशि रू.100– प्रति क्विं. अतिरिक्त सहायता का प्रावधान।
प्रमाणित बीज वितरण	क्विं	50 प्रतिशत या निर्धारित मूल्य राशि रू. 2500– प्रति क्विं. तिलहन हेतु जो कि 10 वर्षों के अन्दर की प्रजातियों के लिए एवं संकर किस्म के लिए राशि रू.5000– प्रति क्विं. का प्रावधान।
लक्षित विशेष प्रजाति का बीज उत्पादन	क्विं	बीज उत्पादन में 75 प्रतिशत मूल्य एन.एस.सी, एस.एफ.सी.आई राज्य संस्थाएं, आई.सी.ए.आर., एस.ए.यू.एस. एवं के.व्ही.के. हतु जो की 5 वर्ष तक के प्रजातियों के लिए प्रावधान।
पौध संरक्षण यंत्र हस्त चलित	संख्या	नेपसेक, फूट आपरेटेड स्प्रेयर मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम सीमा राशि रु. 600/– प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लाघुसीमंत कृषकों महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा राशि रु. 800–.

पवार स्प्रेयर संख्या	संख्या	नेपसेक पवार स्प्रेयर क्षमता 16 लीटर मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम सीमा राशि रु. 3000/— प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमंत कृषकों/ महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा राशि रु. 3800/—. नेपसेक पवार स्प्रेयर क्षमता 16 लीटर से ऊपर मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम सीमा राशि रु. 8000/— प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघुसीमांत कृषकों/महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा राशि रु. 10000/—.
सीड ट्रीटिंग ड्रम	संख्या	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम सीमा 20 कि.ग्रा. क्षमता हेतु राशि रूपए 1750/— एवं 40 कि.ग्रा. क्षमता हेतु राशि रूपये 2000/—
पौध संरक्षण रसायन	हेक्टे.	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपए 500/— रू. प्रति हेक्टेयर पौध संरक्षण रसायन आवश्यकता के आधार पर कीटनाशक, फफूंदनाशक, नींदानाशक, बायोपेस्टीसाइड्स, बायोएजेंट्स, सूक्ष्म तत्व एवं बायो फर्टिलाजर्स आदि दिए जाने का प्रावधान।
जिप्सम/पायराइट्/ल्लीमिंग/ डोलोमाइट/ सिंगल सुपर फास्फेट आदि का वितरण	हेक्टे.	मूल्य का 50 प्रतिशत, सामग्री एवं वाहन भाड़ा अधिकतम राशि रु. 750 प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो, दिए जाने का प्रावधान।
न्यूक्लियर पाली हद्रोसिस वायरस (एन.पी.वी.)	हेक्टे.	मूल्य का 50 प्रतिशत, सामग्री एवं वाहन भाडा अधिकतम राशि रु. 500 प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो, दिए जाने का प्रावधान।
रईजोबीयम कल्चर/पी.एस.बी. /जेड.एस.बी/ एजोटोवेक्टर/मईक्रोराईजा	हेक्टे.	मूल्य का 50 प्रतिशत, सामग्री एवं वाहन भाड़ा अधिकतम राशि रु. 300 /— चूर्ण, कर्ण एवं तरल रूप में दिए जाने का प्रावधान ।
उन्नत कृषि यंत्र हस्त चलित	संख्या	हस्त चलित/ बैल चालित मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 8000/— प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ लघु/ सीमांत कृषकों/ महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा राशि रु. 10000/—.

<table>
<tr><td>ट्रेक्टर चालित/ यंत्र</td><td>संख्या</td><td>ट्रेक्टर चालित रोतावेटर/ सीड ड्रिल/ जीरोटिलल सीड ड्रिल/मल्टीक्राप प्लान्टर/जीरोटिलल/मल्टीक्राप प्लान्टर/ रिज्फरो प्लान्टर/ रेज्डबेड प्लान्टर/ पावर वीडर/ग्राउंडनट डीगर एवं मल्टीक्राप थ्रेसर, मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 50,000/– प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/लघु/ सीमांत कृषकों/ महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा राशि रु. 63000/–.</td></tr>
<tr><td>स्प्रिंकलर सेट का वितरण</td><td>संख्या</td><td>राशि रुपए 19,600/– प्रति यूनिट कास्ट–अनुसार लघु सीमान्त कृषकों को 35 प्रतिशत जो की नान– डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी. क्षेत्र के लिए।
राशि रुपए 19,600/– प्रति यूनिट कास्ट के लिए सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 35 प्रतिशत डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी. क्षेत्र के लिए।</td></tr>
<tr><td>पाइप लाइन</td><td>मीटर</td><td>मूल्य का 50/– प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 15000/– जो भी कम हो, 50 रूपये प्रति मीटर अधिकतम सीमा हेतु प्रति कृषक अनुसार अनुदान देय होगा। इसमें सभी तरह के पाईप जैसे पी.वी.सी.एच.डी. आदि।</td></tr>
<tr><td>ब्लॉक प्रदर्शन</td><td>हैक्टे.</td><td>एक कृषक को प्रदर्शन हेतु एक हैक्टेयर की सीमा निर्धारित जिसमें आदान सामग्री का 50 प्रतिशत या अधिकतम फसलों के प्रदर्शन अनुसार निम्नानुसार देय है – फसल<table><tr><td>फसल</td><td>अनुदान राशि रूपए</td></tr><tr><td>मूंगफली</td><td>7500</td></tr><tr><td>सोयाबीन</td><td>4500</td></tr><tr><td>राई/ सरसों</td><td>3000</td></tr><tr><td>तिल/ रामतिल</td><td>3000</td></tr><tr><td>अलसी</td><td>3000</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी. एम.)</td><td>संख्या</td><td>राशि रु. 26700/– प्रति फार्म फील्ड स्कूल प्रति प्रदर्शन, प्रशिक्षण सामग्री, आई.पी.एम. सामग्री साहित्य एवं अन्य आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान।</td></tr>
<tr><td>कृषक प्रशिक्षण</td><td>संख्या</td><td>राशि रु. 24000/– प्रति प्रशिक्षण, 30 प्रशिक्षणर्थी, के दो दिवस हेतु राशि रूपये 400 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के लिए प्रावधान।</td></tr>
</table>

टी बोर्न आयल सीड्स एन एम ओ ओ पी एम् एम् – 3

क्र.	घटक	नाम टी.बी.ओ. (पौध संख्या प्रति है.)	पौध रोपण लगत प्रति है. (राशि रू.में)
I			
.1	नवीन एवं पूर्व वाटर शेड तथा अनुपयोगी वन भूमि के लिए नर्सरी का एकीकृत विकास एवं पौध रोपण	करंजा (500) महुआ (200) नीम (400)	20,000 15,000 17,000
II			
.1	तिलहन फसल के साथ अंतर्वर्तीय दलहन एवं अन्य फसलों को पौध रोपण की परिपक्व अवधि अंतर्गत अतिरिक्त लाभ ।	करंजा (4 वर्ष)) महुआ (8 वर्ष) नीम (5 वर्ष)	1000 1000 1000
.2	तिलहन फसल के प्रोसेसिंग एवं शोधन उपकरण		अनुदान/ @ 30 : प्रति उपकरण अधिकतम
		करंज डीकोरेटर क्षमता 50 कि.ग्रा. प्रति घंटा नीम डीकोरेटर (मेकेनिकल 2 हार्सपावर मोटर सहित सही 24,000 क्षमता 100 कि.ग्रा. प्रति घंटा)	-/30000
III			
	कृषक प्रशिक्षण	राशि रु. 24000/– प्रति प्रशिक्षण, 30 प्रशिक्षणार्थी के दो दिवस हेतु राशि प्रावधान।	-/24000

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नें 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया।

यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी।

बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना न करें। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जाएगी। एसोसिएशन में के निपटान की प्रक्रिया बनाने का फैसला किया गया है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2ः एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5ः का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5ः होगा।

किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।

सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90ः हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।

काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

2016—2017 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5, 550 करोड़ रूपये का है।

बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है।

किसानों का कवरेज

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदारध् जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित के भूमि रिकार्ड अधिकार (आरओआर), भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एल पी सी) आदि आवश्यक दस्तावेजी प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध, समझौते के विवरण आदि अन्य संबंधित दस्तावेजों भी आवश्यक हैं।

अनिवार्य घटक वित्तीय संस्थाओं से अधिसूचित फसलों के लिए मौसमी कृषि कार्यों (एसएओ) के लिए ऋण लेने वाले सभी किसान अनिवार्यतः आच्छादित होंगे।

स्वैच्छिक घटक गैर ऋणी किसानों के लिए योजना वैकल्पिक होगी।

योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। इसके तहत बजट आवंटन और उपयोग संबंधित राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग द्वारा भूमि भूमि–धारण के अनुपात में होगा। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को कार्यान्वयन एवं फसल बीमा योजनाओं पर किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

फसलों की कवरेज

- खाद्य फसल (अनाज, बाजरा और दालें)
- तिलहन
- वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी की फसल

जोखिम की कवरेज

- फसल के निम्नलिखित चरण और फसल नुकसान के लिए जिम्मेदार जोखिम योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं।
- बुवाई/रोपण में रोक संबंधित जोखिमरू बीमित क्षेत्र में कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई/ रोपण में उत्पन्न रोक।
- खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक के लिए नही रोके जा सकने वाले जोखिमों जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, सैलाब, कीट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आंधी, टेम्पेस्ट, तूफान और बवंडर आदि के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान की जाती है।

- कटाई के उपरांत नुकसानः फसल कटाई के बाद चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों से उत्पन्न हालत के लिए कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए कवरेज उपलब्ध है।
- स्थानीयकृत आपदाएं अधिसूचित क्षेत्र में मूसलधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे स्थानीय जोखिम की घटना से प्रभावित पृथक खेतों को उत्पन्न हानि/क्षति।

जोखिम के अपवर्जन

निम्न कारणों से किसी के कारण फसलों के नुकसान में बीमा कवर लागू नहीं होगा।

- युद्ध और आत्मीय खतरे
- परमाणु जोखिम
- दंगा
- दुर्भावनापूर्ण क्षति
- चोरी या शत्रुता का कार्य
- घरेलू और जंगली जानवरों द्वारा चरे जाना और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों को कवरेज से बाहर रखा जाएगा।

बीमित राशि/कवरेज की सीमा

अनिवार्य घटक के तहत ऋणी किसानों के मामले में बीमित राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC½ बीमित द्वारा निर्धारित वित्तिय माप के बराबर होगा जिसे बीमित किसान के विकल्प पर बीमित फसल की अधिकतम उपज के मूल्य तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अधिकतम उपज का मूल्य ऋण राशि से कम है तो बीमित राशि अधिक होगी।

राष्ट्रीय अधिकतम उपज को चालू वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ गुणा करने पर बीमा राशि का मूल्य प्राप्त होता है। जहां कहीं भी चालू वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं है, पिछले वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनाया जाएगा।

जिन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई है, विपणन विभाग/बोर्ड द्वारा स्थापित मूल्य अपनाया जाएगा।

मध्यप्रदेश में फसल बीमा योजना

- मध्यप्रदेश राज्य में खरीफ 2016 से लागू की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

- प्रदेश में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, बाजरा, मक्का, अरहर, सोयाबीन फसलों को पटवारी हल्का स्तर पर, ज्वार, कोदो–कुटकी, मूंगफली, तिल एवं कपास को तहसील स्तर पर, मूंग, उड़द को जिला स्तर पर बीमित किया जाएगा।
- रबी मौसम में गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई–सरसों को पटवारी हक्ला स्तर पर अलसी को तहसील स्तर पर, मसूर को जिला स्तर पर बीमित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषकों से लिए प्रीमियम दर

- खरीफ मौसम में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का अधिकतम 2.0 प्रतिशत
- मौसम रबी में समस्त अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत।
- वार्षिक नगदी जैसे कपास फसल के लिये प्रीमियम दर 5 प्रतिशत होगी।
- सभी फसलों हेतु क्षतिपूर्ति स्तर 80 प्रतिशत होगा।
- बीमित राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय फसलवार वित पैमाने के बराबर होगी।
- इस योजना में किसी प्रकार की कैपिंग नहीं हाने से किसानों को बीमित राशि की पूरी रकम के अनुसार पूरा हर्जाना मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल जोखिम

1. **बुआई / रोपाई / अंकुरण नष्ट होने का जोखिम–**

- अधिसूचित क्षेत्र अधिसूचित फसलों की बुआई / रोपाई / अंकुरण / वर्षा की कमी या विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण किसी बीमित इकाई में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र की बुआई / रोपाई नष्ट होने पर फसल क्षति होने पर बीमा लाभ दिया जाएगा। कुल बीमित राशि का 25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति रूप में देय होगा।
- राज्य सरकार की क्षति घोषणा अधिसूचित होने के 30 दिनों के अंदर बीमा कम्पनी द्वारा बैंक के माध्यम से कृषकों को भुगतान किया जाएगा।

2. **कटाई उपरांत क्षति–**

- कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं फैली हुई फसल के कटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारण फसल क्षति होने पर बीमा लाभ दिया जाएगा। फसल क्षति होने पर यदि बीमित इकाई में वास्तविक उपज थ्रेशहोल्ड उपज की 50

प्रतिशत से कम आने की संभावना हो तो बीमित कृषकों को तात्कालिक राहत प्रदान की जाएगी।

- राजस्व विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा क्रियान्वयन एजेन्सी के संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर राहत राशि देय होगी।
- राज्य सरकार की क्षति सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर बीमा कम्पनी द्वारा बैंक के माध्यम से कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाएगा।
- कटाई उपरांत क्षति की क्षति में कृषकों द्वारा 72 घंटों के अंतद बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर, राजस्व अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी में से किसी एक को क्षति की सूचना देगी होगी।

3. **कृषि मौसम के मध्य में क्षति होने पर दावा भुगतान –**

- खड़ी फसल में सूखा, अंतराल, बाढ़, जल प्लावन, कीट–व्याधि प्रकोप, भूस्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, आंधी, चक्रवात, बवंडर आदि से फसल नुकसान होने पर बीमा लाभ दिया जाएगा।
- संभावित उपज थ्रेश होल्ड उपज से 50 प्रतिशत से कम आने की संभावना होने पर योजना प्रावधान अंतर्गत कुछ संभावित दावा राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत आन अकाउन्ट भुगतान कृषकों को किया जा सकेगा।
- राज्य सरकार की क्षति घोषणा अधिसूचित होने के 30 दिनों के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा बैंक के माध्यम से कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाएगा।

क्षेत्रीय आपदा :–

- क्षेत्रीय आपदा जिसमें ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन के कारण उत्पन्न जोखिम से फसल क्षति होने पर बीमा लाभ दिया जाएगा।
- यदि किसी अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल क्षति का रकबा 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावगा तथा 25 प्रतिशत से कम होने पर एकल फार्म/कृषक स्तर पर क्षति की गणना की जाएगी।
- क्षति आंकलन के 15 दिन के अंदर लागत के अनुसार क्षतिपूर्ति देय होगी।
- क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में कृषकों क्षरा 72 घंटों के अंदर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर, राजस्व अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी में से किसी एक को क्षति की सूचना देनी होगी।

त्वरित दावा भुगतान

- बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति से इतर अन्य जोखिमों में तात्कालिक राहत/दावा राशि भुगतान की जावेगी तथा, अंतिम वास्तविक उत्पादकता परिणाम के आधार पर बने अंतिम दावा राशि में समायोजन किया जाएगा।
- अंतिम दावा राशि अधिक होने पर तात्कालिक राहत राशि/दावा को अंतिम दावा राशि से घटाकर शेष भुगतान किया जाएगा एवं कम होने पर कृषक से कोई वसूली नहीं की जाएगी।

नवीन तकनीकों का इस्तेमाल

- नवीन तकनीकों जेसे इंटरनेट, फसल बीमा पोर्टल/मोबाइल एप, स्मार्टफोन, जीआईएस, रिमोट सेसिंग, स्वचलित मौसम केन्द्र का उपयोग योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया जावेगा।
- कृषक बंधु फसल बीमा मोबाईल एप के माध्यम से अपने क्षेत्र की फसल बीमा संबंधी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते है।
- कृषक बंधु इन्टरनेट पर फसल बीमा पोर्टल www.agriinsurance.gov.in .पद पर भी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मैदानी/प्रायोगिक कार्य

कुछ मुख्य बिंदु	आप क्या कर सकते हैं
फसल बीमा योजना	फसल बीमा में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों पर कृषकों से संवाद करें।
	क्या वाकई बीमा योजना से किसानों को राहत मिलती है, इस पर चर्चा करें।
	इस योजना के बारे में किसानों के सुझावों को दर्ज करें।

सब – मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम.)

केन्द्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत ट्रेक्टर, पावरटिल, शक्तिचलित कृषि, हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान सहायता दी जाती है। अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाना होता है। आवेदन स्वीकृत होने पर हितग्राही द्वारा म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, विपणन संघ अथवा पंजीकृत निर्माताओं के अधिकृत विक्रेताओं से यंत्र क्रय कर उसके बिल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने होते हैं सामग्री के भौतिक सत्यापन के उपरांत सही पाये जाने पर अनुदान का भुगतान हितग्राही के खाते में अथवा संस्था से क्रय करने की स्थिति में संस्था को भुगतान किया जाता है।

कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान सहायता – ट्रेक्टर पावर टिलर तथा स्वचालित यंत्र

प्रति कृषि यंत्र/ प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण

क्र.	कृषि यंत्र का नाम	अनु.जाति/जनजाति, लघु–सीमान्त कृषक तथा महिला कृषकों हेतु		अन्य कृषकों हेतु	
		देय अधिकतम अनुदान/ मशीन प्रति हितग्राही	प्रतिशत	देय अधिकतम अनुदान/ मशीन प्रति हितग्राही	प्रतिशत अनुदान
1	2	3	4	5	6
अ	**ट्रेक्टर**				
1	ट्रेक्टर (6–15 पी.टी.ओ. एच.पी.)	1.0 लाख	35 %	0.75 लाख	25 %
2	ट्रेक्टर (15 से अधिक 20 पी.टी.ओ. एच.पी.)	1.0 लाख	35 %	0.75 लाख	25 %
3	ट्रेक्टर	1.25लाख	35%	1.0लाख	25 %
4	(20 से अधिक 40 पी.टी.ओ.एच.पी.)	1.25लाख	35%	1.0लाख	25 %

ब	**पावरटिलर**				
1	पावरटिलर (8 बीएचपी से कम)	0.50लाख	50%	0.40लाख	40%
2	पावरटिलर (8 बीएचपी एवं इससे अधिक के)	0.75लाख	50%	0.60लाख	40 %
स	**स्वचालित रैस ट्रांस्प्लांटर**				
1	4 कतार तक	0.94लाख	50%	0.75लाख	40%
2	4 कतार तक से अधिक एवं 16 कतार तक	0.75लाख	40%	2.00लाख	40%
द	**स्वचालित मशीनरी**				
1	रीपर कम बाइंडर	1.25लाख	50%	1.0लाख	40%
क्र	**विशेष स्वचालित मशीनरी**				
1	रीपर	0.63लाख	50%	0.50लाख	40%
2	पोस्ट होल्ड डीगर/ आगर				
3	न्यूमेटिक/ अन्य प्लान्टर				
ख	**स्वचालित उद्यानिकी मशीनरी**				
1	फ्रूट प्लकर	1.25लाख	50%	1.0लाख	40%
2	ट्री प्रूनर				
3	फ्रूट हार्वेस्टर				
4	फ्रूट ग्रेडर				
5	ट्रेक ट्रॉली				
6	नर्सरी मीडिया फिलिंग मशीन				
7	मल्टीपरपज हाईड्रोलिक सिस्टम				
8	शक्ति चालित बडिंग, ग्राफ्टिंग, शियारिंग आदि				

कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान सहायता – शक्तिचालित कृषि यंत्र

प्रति कृषि यंत्र/ प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण रू. हजार में

क्र.	कृषि यंत्र का नाम	20 बी.एच.पी. से कम ट्रेक्टर एवं पावर टिलर हेतु		20 से अधिक – 35 बी. एच.पी.के ट्रेक्टर हेतु		35 बी.एच.पी. से अधिक के ट्रेक्टर हेतु	
		अनुजाति/जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनु जाति/जनजाति. लघु. सीमान्त कृ षक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनु जाति/जनजाति. लघु. सीमान्त कृ षक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
अ	**भूमि सुधार, खेत की तैयारी तथा सीड–बेड तैयारी के उपकरण**						
1.	एम. बी. प्लाऊ	15000	12000	19000	15000	44000	35000
2.	डिस्क प्लाऊ	15000	12000	19000	15000	44000	35000
3.	कल्टीवेटर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
4.	हैरो	15000	12000	19000	15000	44000	35000
5.	लेवलर ब्लेड	15000	12000	19000	15000	44000	35000
6.	केज व्हील	15000	12000	19000	15000	44000	35000
7.	फरो ओपनर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
8.	रेजर	15000	12000	19000	15000	44000	35000

9.	बीड स्लेशर	15000	12000	19000	15000	63000	50000
10.	एम. बी. प्लाऊ	15000	12000	19000	15000	63000	50000
11.	रिवर्सिबल मेकेनिकर प्लाऊ	15000	12000	19000	15000	44000	35000
12.	रोटावेटर	35000	28000	44000	35000	63000	50000
13.	रोटोपडलर	35000	28000	44000	35000	63000	50000
14.	रिवर्सिबल हाईड्रोलिक प्लाऊ	35000	28000	44000	35000	63000	50000
15.	सब सोईलर	--	--	--	--	63000	50000
16.	ट्रेंच मेकर्स (पी.टी.ओ.) चलित	--	--	--	--	63000	50000
17.	बंड फार्मर पी. टी.ओ.) चलित	--	--	--	--	63000	50000
18.	पावर हैरो (पी. टी.ओ.) चलित	--	--	--	--	63000	50000
19.	बैकहो लोडर डोजर ट्रेक्टर चलित	8000	6000	10000	8000	--	--
20.	चीसल प्लाऊ						

ब– बुआई, रोपाई, कटाई तथा खुदाई यंत्र

क्र.	कृषि यंत्र का नाम	20 बी.एच.पी. से कम ट्रेक्टर एवं पावर टिलर हेतु		20 से अधिक – 35 बी. एच.पी.के ट्रेक्टर हेतु		35 बी.एच.पी. से अधिक के ट्रेक्टर हेतु	
		अनुजाति / जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनु जाति / जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनु जाति / जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पोस्ट होल्ड डीगर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
2.	पोटेटो प्लान्टर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
3.	पोटेटो डिगर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
4.	ग्राउंडनट डिगर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
5.	स्ट्रिप टिल ड्रिल	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
6.	ट्रेक्टर चालित रीपर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
7.	प्लाज हार्वेस्टर यंत्र	15000	12000	19000	15000	44000	35000

8.	रीजररैस स्ट्रा चोपर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
9.	जीरो टिल सीड कम फर्टिलाईजर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
10.	रेज्ड– बैंड प्लान्टर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
11.	सुगर कें कटर / स्ट्रिपर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
12.	प्लान्टर	15000	12000	19000	15000	कटर / स्ट्रिपर / प्लान्टर	कटर / स्ट्रिपर / प्लान्टर
13.	सीड ड्रिल	15000	12000	19000	15000	44000	35000
14.	मल्टीक्राप प्लान्टर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
15.	जीरो मल्टीक्राप प्लान्टर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
16.	रिज फरो प्लान्टर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
17.	टर्बो सीडर	35000	28000	44000	35000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
18.	न्युमेट्रिक	35000	28000	44000	35000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि

	प्लान्टर						40%)
19.	न्युमेट्रिक वेजीटेबल प्लान्टर	35000	28000	44000	35000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
20.	न्युमेट्रिक वेजीटेबल सीडर	35000	28000	44000	35000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
21.	हैप्पी सीडर	35000	28000	44000	35000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
22.	प्लास्टिक माल्व लेयिंग मचीन	35000	28000	44000	35000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
23.	कसावा प्लान्टर	--	--	--	--	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
24.	मैन्योर स्प्रेडर	--	--	--	--	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
25.	फर्टिलाइजर स्प्रेडर	--	--	--	--	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
26.	आटोमेटिक रईस नर्सरी सोईंग मशीन	--	--	--	--	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)

स. निंदाई–गुढाई के यंत्र

क्र.	कृषि यंत्र का नाम	20 बी.एच.पी. से कम ट्रेक्टर एवं पावर टिलर हेतु		20 से अधिक – 35 बी. एच.पी.के ट्रेक्टर हेतु		35 बी.एच.पी. से अधिक के ट्रेक्टर हेतु	
		अनुजाति/जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनु जाति/जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनुजाति/जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्राम/ वीड स्लेशर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
2.	राईस स्ट्रा चोपर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
3.	पावर वीडर (स्वयं के इंजन से चलने वाला)	15000 (2 बी एच पी से कम इंजन से चलने वाला)	12000 (2 बी एच पी से कम इंजन से चलने वाला)	19000 (2 बी एच पी से कम इंजन से चलने वाला)	15000 (2 बी एच पी से कम इंजन से चलने वाला)	--	--
4.	वीडर (पी. टी.ओ. चलित)	2 बी एच पी से कम इंजन से चलने वाला)	2 बी एच पी से कम इंजन से चलने वाला)	2 बी एच पी से कम इंजन से चलने वाला)	2 बी एच पी से कम इंजन से चलने वाला)	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)

द .फसल कटाई उपरान्त अवशेषों को व्यवस्थित करने तथा चारा कटाई सम्बंधित यंत्र

क्र.	कृषि यंत्र का नाम	20 बी.एच.पी. से कम ट्रेक्टर एवं पावर टिलर हेतु		20 से अधिक – 35 बी. एच.पी.के ट्रेक्टर हेतु		35 बी.एच.पी. से अधिक के ट्रेक्टर हेतु	
		अनुजाति / जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनु जाति / जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनुजाति / जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शुगरकेन थ्रेश कटर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
2.	कोकोनट फ्रांड चोपर	15000	12000	19000	15000	(63000अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
3.	श्रेक	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
4.	ब्लर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
5.	स्ट्रा रीपर	15000	12000	19000	15000	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
6.	वुड चिपर्स	--	--	--	--	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
7.	शुगरकेन रेटून मैनेजर	--	--	--	--	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)
8.	कॉटन स्टॉक अपरूटर	--	--	--	--	(63000 अधि 50%)	(5000 अधि 40%)

ई. कटाई एवं गहराई यंत्र

क्र.	कटाई एवं गहराई यंत्र	20 बी.एच.पी. से कम ट्रेक्टर एवं पावर टिलर हेतु		20 से अधिक – 35 बी. एच.पी.के ट्रेक्टर हेतु		35 बी.एच.पी. से अधिक के ट्रेक्टर हेतु	
		अनुजाति/ जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनु जाति/जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अनुजाति /जनजात. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु	अनु जाति/जनजाति. लघु. सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्राउंड पोंड स्ट्रिपर	20000	16000	25000	20000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
2.	थ्रेशर	20000	16000	25000	20000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
3.	मल्टीक्राप थ्रेशर	20000	16000	25000	20000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
4.	पैडी थ्रेशर	20000	16000	25000	20000	(63000 अधि 50%)	(50000 अधि 40%)
5	ब्रश कटर	20000	16000	25000	20000		
6	चेफ कटर	20000	16000	25000	20000		
7	फोजर हार्वेस्टर	--					
8	बर्ड स्केयरर	--					

कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान सहायता–हस्तचलित एवं पशुचालित कृषि यंत्र

(प्रति कृषि यंत्र/प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण)

क्र.	कृषि यंत्र का नाम	अनु जाति/जनजाति. लघु,सीमान्त कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषकों हेतु
1	2	3	4
अ	**भूमि सुधार, खेत की तैयारी तथा सीड–बेड तैयारी के उपकरण**		
1	एम. बी. प्लाऊ	10000	8000
2	डिस्क प्लाऊ	10000	8000
3	कल्टीवेटर	10000	8000
4	हैरो	10000	8000
5	लेवलर ब्लेड	10000	8000
6	फरो	10000	8000
7	रिज़र	10000	8000
8	पड्लर	10000	8000
ब	**बुआई एवं रोपाई यंत्र**		
1	पैडी प्लान्टर	10000	8000
2	सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल	10000	8000
3	रेज्ड– बेड प्लान्टर	10000	8000
4	प्लान्टर	10000	8000
5	डिबलर	10000	8000

6	पैडी नर्सरी रेसिंग यंत्र	10000	8000
7	ड्रम सीडर (4 कतार तक)	1500	1200
8	ड्रम सीडर (4 कतार से अधिक)	1900	1500
स	**कटाई एवं रोपाई यंत्र**		
1	ग्राउंड नत पोड स्ट्रिपर	10000	8000
2	थ्रेशर	10000	8000
3	विनोईग फेन	10000	8000
4	ट्री क्लाईग्बर	10000	8000
5	होर्टीकल्चर हेंड टूल्स	10000	8000
6	चेफ कटर (3 फिट तक)	5000	4000
7	चेफ कटर (3 फिट से अधिक)	6300	5000
द	**निंदाई–गुढ़ाई यंत्र**		
1	ग्रास बीड स्लेशर	6000	5000
2	वीडर	6000	5000
3	कोनीवीडर	6000	5000
4	गार्डन हेंड टूल्स	6000	5000

टीप– प्रदेश में प्रचलित कई हस्तचलित एवं पशुचलित कृषि यंत्रों की दरें उपरोक्त देय अनुदान से कम हैं इसलिए इन यंत्रों पर देय अनुदान की सीमा का निर्धारण संचालनालय कृषि अभियानंत्रिकी द्वारा किया जाएगा।

हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों पर टॉप अनुदान

कृषकों को हसतचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों पर केन्द्रीय योजनाओं में देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार टॉपअप अनुदान भी दिया जाता है।

1	हस्तचालित कृषि यंत्र	कीमत का अधिकतम 50 प्रतिशत या 4000 रु. प्रति यंत्र जो भी कम हो	राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए
2	बैल चलित कृषि यंत्र	कीमत का अधिकतम 50 प्रतिशत या 5000 रु. प्रति यंत्र जो भी कम हो	राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए

2. हलधर योजना – (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत)

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी कृषकों तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनकी भूमि की ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई हेतु लगत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपए 2000/– प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा सामान्य जाति के लघु एवं सीमान्त कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर के सीमा तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गहरी जुताई शासकीय तथा प्राईवेट किसी भी ट्रेक्टर से कराई जा सकती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क करें।

3. कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना – (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत)

(अ) शक्तिचलित कृषि यंत्रों पर टॉपअप अनुदान :–

शासन द्वारा विशेष कृषि क्रियाओं हेतु अथवा कृषकों की विशेष समस्याओं के निराकरण हेतु चिन्हित शक्तिचलित कृषि यंत्रों पर अन्य योजनाओं में उपलब्ध अनुदान के अतिरिक्त निम्नानुसार टॉपअप अनुदान दिया जाता है। रिज फरो अटैचमेंट पर वर्तमान में किसी अन्य योजना में अनुदान उपलब्ध नहीं हैं, अतः इस पर विशेष अनुदान देय होगा। वर्तमान में चयनित शक्तिचलित कृषि यंत्र निम्नानुसार है –

क्र	चिन्हित कृषि क्रियाएं	**चिन्हित यंत्र**	**अनुदान का प्रकार**	**अनुदान सीमा**
1.	सोयाबीन के बुआई के रिज फरो पद्धति को प्रोत्साहन	रिज–फरो अटैचमेंट (कृषकों के पास वर्तमान में उपलब्ध सीड ड्रिल/ सीड क्रम फर्टिलाजर्स ड्रिल हेतु)	विशेष अनुदान	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 2500/–
2.	गहरी जुताई कार्य	सम्बर्शियल प्लाऊ, एम.बी. प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 10000/–
3.	मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के साथ खेत की तैयारी	पावर हैरो	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 50000/
4.	खेतों का सूक्ष्म समतलीकरण	लेजर लेंड	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 50000/
5.	फसलों की कतर में बुआई	सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 10000/
6.	धान कताई उपरान्त, गेहूं की समय पर बुआई	जीरोटिल सीड कम फर्टिलाईजर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 10000/
7.	फसलों के रौंविक खेती	रेज्डवेड प्लान्टर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 20000/
8.	उनात बुआई तकनीक	न्युमैटिक प्लान्टर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 75000/
9.	अवशेष प्रबंधन के साथ उन्नत बुआई तकनीक	हैप्पी सीड्स	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 40000/
10	उन्नत बुआई तकनीक	मल्टीक्रॉप प्लान्टर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 25000/
11	उन्नत बुआई तकनीक	रिज–फरो प्लान्टर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 25000/

12	सघन केट नियंत्रण	एरोब्लास्त स्पेयर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 40000/
13	फसल कटाई कार्य	रीपर कम बाइंडर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 50000/
14	नरवाई से भूसा प्राप्त करना	स्ट्रा	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 50000/
15	फसल अवशेष प्रबंधन	रेक	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 35000/
16	फसल अवशेष प्रबंधन	बेलर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 75000/
17	फसल अवशेष प्रबंधन	श्रेडर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 35000/
18	धान की यंत्रीकृत बुआई	स्वचालित रैस ट्रांसप्लान्टर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 50000/
19	धान के यंत्रीकृत बुआई	पावर टिलर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 3000/

(ब) कस्टम हायरिंग केंद्र के स्थापना हेतु सहायता :–

प्रदेश के 40 वर्ष से कम एवं स्नातक उपाधि प्राप्त युवाओं को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए शासन द्वारा कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान सहायता दी जाती है। कस्टम हायरिंग केंद्र कृषि फसलों अथवा उद्यानिकी फसलों हेतु स्थापित किये जा सकते हैं। सामान्य वर्ग के आवेदकों को अधिकतम रु. 10.00 लाख एवं अनुसूचति जाति/ जनजाति के आवेदकों को 50 प्रतिशत 10.00 लाख तक की अनुदान सहायता दी जाती है। अनुदान बैंक ऋण प्रकरण पर 'बैंक एंडेड सब्सिडी' के रूप में दिया जाता है। कृषि/ उद्यानिकी कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकों को प्रत्येक जिले हेतु लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधकतम 3 केन्द्रों के आवंटन की प्राथमिकता दी जाती है। योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित करने के लिए वर्ष के प्रारंभ (अप्रैल से) में विज्ञापन प्रकाशित कर एम.पी. ऑनलाईन से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय से सम्पर्क करें।

सहकारिता से खेती की नयी उड़ान

खेती के लिए सबसे जरूरी है संसाधन। संसाधनों का जुटाने की चुनौती किसान के पास हमेशा ही होती है। भारत में खेती को परंपरागत रूप से किया जाते रहा है, और उसकी एक अलग तरह की शैली भी रही है। इस शैली में वस्तु विनिमय आधारित व्यवस्थाओं पर ही जोर दिया जाता रहा है। गांव में एक दूसरे पर हर काम के लिए निर्भरता रहने से उसमें नगदी का उपयोग भी कम ही होते रहा। जैसे किसान बाकी सभी के लिए अनाज की व्यवस्था करता तो लोहार बढ़ई आदि उसके लिए खेती में काम आने वाले औजारों की व्यवस्था। यह भी एक तरह की सहकारिता ही रही, लेकिन बदलते परिदृश्य में खेती के तौर तरीके भी बदलते गए, और उसमें नगदी सहित अन्य संसाधनों की जरूरतें भी बढ़ती गई। इन जरूरतों को पूरा करने और खेती में एक तंत्र विकसित करने के लिए सहकारिता की स्थापना की गई।

सहकारिता के जरिए किसानों को उनकी अपनी सोसायटी के माध्यम से खाद–बीज की व्यवस्था और उनकी उपज को खरीदने तक के लिए एक

कृषि सामग्री के लिए कर्ज – प्रदेश में किसानों को खाद, बीज और अन्य जरूरी सामग्री खरीदने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज की दर से सहकारी ऋण मुहैया करने वाला प्रथम राज्य है। या कर्ज सहकारी बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से मिलता है।

योजना का स्वरुप और कार्यक्षेत्र –प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से उनके कार्य क्षेत्र के किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।

पात्र हितग्राही – कृषक को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

कृषकों को उपज के तरन पर ऋण प्रदाय योजना

उद्देश्य – कृषकों की उपज को तारण पर रखकर ऋण के स्वीकृति।

योजना का स्वरुप और कार्यक्षेत्र – यह व्यवस्था इसलिए की गई है की बाजार में कृषि उपज के भाव घटते–बढ़ते रहते हैं। यदि कृषक इसमें रूचि रखता है तो वह अपने कृषि उत्पादन का बैंकों के तरन पर ऋण प्राप्त कर सकता हैं अच्छे भाव खुलने पर वह माल बेच सकता है और अपनी उपज का अधिक मूल्य अर्जित कर सकता है। इससे बिचौलियों के शोषण से बचाव हो जाता हैं। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया – कृषकों के भण्डार ग्रहों की रसीदों के तारण पर सहकारी बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमे कृषक अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकेगा। निकटतम स्थान पर भण्डार गृह / ग्रामीण गोदामों में कृषी उपज को रखकर तथा रसीद प्राप्त करने पर निकटतम सहकारी बैंक की शाखा से भी सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर सकेगा।

पात्रता हितग्राही – कृषक सदस्य को समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

किसान साख –पत्र (किसान क्रेडिट कार्ड योजना)

उद्देश्य – सहकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत साख सीमा से कृषको को सरलता से ऋण उपलब्ध करवाना।
योजना का स्वरुप और कार्यक्षेत्र – सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने कृषक सदस्यों को अधिकतम साख सीमा निर्धारित की जाना है। यह सीमा नकद और वस्तु में अलग–अलग निर्धारित की जाती हैं।
स्वीकृत ऋण सीमा में सदस्यों को संस्था की ओर से कृषक साख–पत्र जारी किया जाता है। जारी किये गए साख–पत्र के अधार पर सदस्य द्वारा आवश्यकतानुसार साख–सीमा का उपयोग किया जाता है।
पात्र हितग्राही – ऐसे कृषक, जो सहकारी साख समिति के सदस्य और कृषि कार्यों के लिए आदान ऋण संस्था से प्राप्त करते हैं उन्हें कृषि कार्यों के लिए ऋण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और कृषि साख सहकारी सिटी से दिया जाता है।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया –
(अ) साख पत्र के 'अ' भाग अर्थात नकद ऋण सीमा का उपयोग का सदस्य द्वारा स्वीकृत अवधि में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर चेक के माध्यम से किया जा सकता है। अर्थात इससे आहरण केश क्रेडिट लिमिट की भांति किया जाता है।
(ब) साख पत्र के 'ब' भाग अर्थात वस्तु के उपयोग के अंतर्गत समिति द्वारा सदस्यों को खाद–बीज और अन्य आदान के लिए स्वीकृत साख सीमा का परमिट जाती किया जाता है। परमिट के आधार पर सदस्य को वस्तु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
(स) साख पत्र के 'स' भाग अर्थात नकद ऋण का भुगतान खरीफ बीज की स्थति में 15 मार्च के पहले और रबी क्षेत्र होने की स्थिति में 15 जून के पहले अनिवार्य होता है। पत्र के 'ब" भाग अर्थात वस्तु का भुगतान 15 जून के पहले अनिवार्य किया जाता है।
(द) साख पत्र का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाता है। नवीनीकरण उसी दशा में किया जाता हैं जब सदस्य द्वारा 'अ' और 'ब' भाग हो। योजना के अंतर्गत सदस्य को चेक बुक जारी की जाती है। सदस्य चेक के माध्यम से साख पत्र के आधार पर आवश्यकतानुसार आहरण कर सकता है।
(र) सदस्य को केश क्रीडित लिमिट से व्यवहार करने के लिए बुक के साथ पासबुक भी जारी की जाती है। जिसमे समस्त प्रविष्टियां होती हैं।
सम्पर्क – ग्राम पंचायत।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दिया गए अल्पावधि फसल ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये जाने पर ब्याज अनुदान।
उद्देश्य – इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से पीड़ित कृषकों को सहायता प्रदान करना है।
योजना का स्वरुप और कार्यक्षेत्र – इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा कृषकों को वितरित अल्पावधि फसल ऋण को प्राकृतिक आपदा होने की स्थिति में शून्य प्रतिशत ब्याज दर 2/3 वर्षीय मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये जाने का प्रावधान है। योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां पैक्स समितियों द्वारा ऋण में परिवर्तित किया गया है।

पात्र हितग्राही – ऐसे कृषक, जिनके द्वारा पैक्स समितियों से अल्पावधि कृषि ऋण लिया गया है तथा प्राकृतिक आपदा के कारण फसल रन को मध्यावधि रन में परिवर्तित किया गया है, योजना के अंतर्गत पत्र हितग्राही होंगे।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया – इस योजना के अंतर्गत परिवर्ती मध्यावधि ऋण के प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त ड्यू होने पर ड्यू डेट के पश्चात प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं द्वारा ब्याज अनुदान की राशि गणना कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तथा अपेक्स बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने पर ब्याज अनुदान के राशी अपेक्स बैंक से माध्यम से संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं पैक्स समिति को उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री कृषि सहकारी ऋण सहायता योजना

उद्देश्य – इस योजना का मुख्या उद्देश्य कृषि की लगत को कम करते हुए कृषि उत्पादन के साथ कृषकों की आय में वृद्धि करना एवं कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने की दिशा में कृषकों को सहायता प्रदान करना है।

योजना का स्वरुप और कार्यक्षेत्र – इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा कृषकों को वितरित अल्पावधि फसल ऋण की अदायगी निर्धारित ड्यू किए जाने पर ऋण में शामिल खाद एवं बीज के लिए दिए गए वस्तु ऋण के राशि पर 10 प्रतिशत का अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा ? योजना अंतर्गत प्रति ऋण कृषक सदस्य परत वर्ष सहायता अनुदान की अधिकतम समा 10,000 रूपए होगी। यह योजना रबी सीजन वर्ष 2015–16 से प्रारंभ होगी।

पात्र हितग्राही – ऐसे कृषक, जिनके द्वारा पैक्स समितियों से लिए गए अल्पावधि कृषि ऋण में से नकद ऋण की शत–प्रतिशत एवं वस्तु ऋण की 90 प्रतिशत राशि की अदायगी ड्यू डेट तक कर दी गई है, योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही होंगे।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया – इस योजना के अंतर्गत पैक्स समिति के कृषक सदस्य द्वारा लिए गए अल्पावधि कृषि ऋण में से नकद ऋण के शत–प्रतिशत तथा वस्तु ऋण की 90 प्रतिशत राशि ड्यू डेट पर जमा कर दी जाती है, तब प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा 10 प्रतिशत अथवा 10,000/– रूपये प्रति कृ षक अधिकतम सहायता राशि की गणना कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तथा अपेक्स बैंक के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर सहायता राशी अपेक्स बैंक के माध्यम से सम्बंधित जिला शाहकारी केन्द्रीय बैंक एवं पैक्स समिति को उपलब्ध कराई जाती है।

मैदानी/प्रायोगिक कार्य

कुछ मुख्य बातें	यह कार्य करें
किसान केडिट कार्ड	• किसान केडिट कार्ड योजना के बाद किसानों को उनकी खेती में किस तरह का बदलाव आया है। • किसान केडिट कार्ड का किसान किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका खेती में कितना इस्तेमाल है और दूसरे कामों में कितना इस्तेमाल है। • इस बात पर चर्चा करें कि किसान केडिट कार्ड का इस्तेमाल क्या केवल किसानी से संबंधित कार्यों पर ही होना चाहिए।

राज्य कृषक आयोग

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने का संकल्प लिया गया है। कृषक समुदाय के जीवन स्तर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन कर नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपायों की अनुशंसा करने के लिए म.प्र शासन द्वारा दिनांक 13.09.2006 को राज्य कृषक आयोग का गठन किया गया। माननीय डॉ राजेंद्र पाठक को राज्य कृषक आयोग का अध्यक्ष नामांकित किया गया। आयोग द्वारा अपनी प्रथम की कार्यावधि दिनांक 31.12.2010 तक विभिन्न जिलों में कृषक परिचर्चाओं, कृषक गोष्ठियों एवं बैठकों का आयोजन किया गया। कृषकों एवं अन्य स्तरों से प्राप्त सुझावों को प्रशिक्षण उपरांत संकलित कर आयोग द्वारा अपनी अनुशंसाएं सात प्रतिवेदनों के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित की गई।

म.प्र शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक–डी–17–27/2004/14–3 दिनांक 07.05.2013 के द्वारा राज्य कृषक आयोग की कार्यवधि पुनः दिनांक 30.04.2014 तक बढ़ाई गई एवं माननीय श्री कैलाश पाटीदार को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माननीय श्री पाटीदार जी द्वारा दिनांक 22 मई 2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

म.प्र शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक–एफ–1–ए–56–2013/14–1 दिनांक 26.09.2013 के द्वारा श्री एस.के.उपाध्याय पूर्व संचालक कृषि को सदस्य सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय ,जबलपुर

भारत के हृदय स्थल जबलपुर में स्थित जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1964 को प्रदेश के कृषि विकास के लिए हुई। विगत 53 वर्षों से विश्वविद्यालय कृषि, शिक्षा, अनुसंधान व विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय में संस्था प्रमुख कुलपति है। कार्य संपादन के लिए कुलसचिव, लेखानियंत्रक, दो अधिष्ठाता संकाय, क्रमशः, अधिष्ठाता कृषि संकाय, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी संकाय, तीन संचालक क्रमशः संचालक अनुसंधान सेवाएं ,संचालक, विस्तार सेवाएं संचालक शिक्षण तथा 06 अधिष्ठाता कृषि, 01 अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी के पद स्वीकृत हैं। विश्वविद्यालय 04 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, 04 आंचलिक अनुसंधान केंद्र एवं 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित 25 जिलों में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं विस्तार का कार्य संपादित कर रहा है।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी, शिक्षक, वैज्ञानिक, विस्तार कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारियों से बने इस जवाहर परिवार के अथक प्रयासों, कठिन परिश्रम, निरंतर तथा उच्च अनुसंधान तथा शिक्षा के परिणामों

को कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के द्वारा कृषकों तक पहुंचाया गया। वैज्ञानिकों की उन्नत और आधुनिक कृषि तकनीकी मध्यप्रदेश शासन की उत्कृष्ट कृषि नीति और किसानों की कड़ी मेहनत ने इसे सफलता का रूप दिया जिससे प्रदेश की कृषि विकास दर 24.9ः तक पहुंच पाई। जिससे मध्यप्रदेश को लगातार चौथी बार अधिकतम उत्पादन तथा उत्पादकता में सर्वोत्तम बढ़ोतरी के लिए कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। विकास दर में निरंतर वृद्दि के लिए इस विश्वविद्यालय का प्रत्येक सदस्य पूरी निष्ठा के साथ कार्यरत है।

खेती के समक्ष प्रस्तुत नवीन आयामों के मद्देनजर व्यवहारिक शिक्षा एवं परीक्षा मूल्यांकन की परिष्कृत पद्यति को लागू किया गया जिसके फलस्वरूप अधिकारिक छात्रों हेतु रोजगार के बहुआयोजनों द्वारा अधिकारियों/शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों को चुनौतीपूर्ण अवसरों से परिचित कराया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा कृषकों के हितार्थ विभिन्न प्रजातियों एवं संकर किस्में विकसित की जा रही है जो कि कृषक समूहों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय हैं। इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का दलहन उत्पादन में प्रथम, तिलहन उत्पादन में दूसरा एवं अनाज उत्पादन में तीसरा स्थान है। वहीं प्रजनक बीजों के उत्पादन में विश्वविद्यालय का 23ः योगदान राष्ट्रीय स्तर पर है।

विवि के दो संकायों में कुल 18 विभाग हैं। तीन स्नातक उपाधियों बी.एस.सी.(कृषि) बी.एस.सी.(वानिकी) तथा कृषि आभियांत्रिकी तथा कृषि के क्षेत्र में 14, कृषि आभियांत्रिकी के क्षेत्र 5 तथा कृषि वानिकी के क्षेत्र में 4 विषयों मास्टर उपाधि के साथ एम.बी.ए.की उपाधियां दी जाती हैं। विश्वविधालय द्वारा पी.एच.डी.की उपाधि कृषि क्षेत्र के 9 विषयों और कृषि अभियांत्रिकी के 3 विषयों में दी जाती है। वर्तमान में कुल 2 विषयों में डिप्लोमा की उपाधि का प्रावधान भी है। काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ का स्थापना एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण के दिशा निर्देशन में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने पर वाले छात्र अपने भविष्य को सुरक्षित पाते है। विवि के विधार्थी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जैसे जे.आर.एफ. नेट, गेट (JRF]NET]GATE) आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार कृषि अभियांत्रिकी संकाय कृषक एवं महिला कृषकों के श्रम में कमी लाने हेतु नवीन यंत्रों के विकास कृषि यंत्रीकरण, भूमि एवं जल सुधार तथा प्रसंस्करण द्वारा कृषि उपज के मूल्य संवर्धन द्वारा उद्यमों के विकास हेतु प्रत्यनशील हैं।

विवि में पुस्तकों एवं सूचना के योगदान को प्रमुखता से ध्यान में रखा जाता है । इसी के अंतर्गत स्नातक छात्रों हेतु करीब 60.000 किताबें, 16000 नियतकालिक पत्र पत्रिकाएं, 8000 थीसिस एवं 2300 ऑन लाइन जर्नल्स उपलब्ध हैं। व्ही–सेट द्वारा इंटरनेट सेवा का लाभ दिया गया है। विभिन्न उन्नत तकनीकों से परिचय कराने हेतु विवि की प्रत्येक इकाई पर कॉप कैफिटेरिया एवं तकनीकी पार्क इंस्ट्रक्शनल फार्म एक्सीपिरेंशन लर्निंग कार्यक्रम,रावे एवं काफ्ट जैसी तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

जवाहरलाल नेहरु कृषि विवि के लिए वर्ष 2016 अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरपूर रहा। विभिन्न फसलों की नई किस्मों के विकास ने विवि की गरिमा में राष्ट्रीय स्तर पर चार चांद लगाए। वर्ष भर चलने वाले प्रादेशिक और राष्ट्रीय संगोष्ठियां/किसान मेले और शासकीय व निजी क्षेत्रों की कंपनियों के साथ हुए एम.ओ.यू. अनुबंध ने इसकी साख को ओर भी मजबूत किया। मध्यप्रदेश को लगातार चौथीं बार मिले **कृषि कर्मण अवार्ड** से कृषि विधि के वैज्ञानिकों का योगदान सराहा गया और विकसित की गई उन्नत कृषि तकनीकी के चर्चे देशभर में हुए । पवारखेड़ा में नए कृषि विश्वविधालय की स्थापना की गई।

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविधालय के वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों की कठिन तपस्या, अथक परिश्रम और कई वर्षों के सतत् अनुसंधान के फलस्वरूप 8 विभिन्न फसलों की 11 उन्नत किस्में न केवल वजूद में आई हैं वरन

सुगंधित देशी किस्में (उन्नत चिन्नौर, उन्नत जीराशंकर, जवाहर राइस 81, एवं जवाहर राइस 767) विकसित की इसके साथ ही चना की देशी प्रजाति जवाहर ग्राम–36 जवाहर जई–5 जवाहर राज मूंग–2, रामतिल जे.एन. एस–30, जवाहर अलसी–79, लघु धान्य कुटकी की जवाहर कुटकी–4 एवं गन्ना की सी.ओ.जे.एन.95–05 आदि नई उन्नत किस्में भी विकसित की गई हैं। यलोमोजैक की वजह से किसानों का सोयाबीन के प्रति रुझान कम हो रहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरु कृषि विवि ने सोयाबीन की 2 ऐसी उन्नत किस्में जेएस (श्रै) 20–52 विकसित की जिसमें यलोमोजैक का प्रभाव नगण्य हो गया और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई । किसानों ने पुनः सोयाबीन की फसल लेनी शुरू कर दी है।

तरहःतरह के नए सीड तैयार करने वाले कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्ष ताकतवर तरल खाद तैयार कर चमत्कार किया। वैज्ञानिक का दावा है कि 35 वर्षों की रिसर्च के बाद तैयार इस तरल खाद को एक एकड़ क्षेत्र में एक लीटर डालने पर 20 फीसदी तक उत्पादन बढ़ जाएगा। इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया जारी है। विवि ने खरीफ की 11 फसलों की 62 किस्मों ले लगभग 7000 क्विंटल प्रजनक बीज एवं रबी की 12 फसलों की 66 किस्मों के लगभग 7871 क्विंटल प्रजनक बीज भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के आवंटन के अनुसार शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, बीज निगम, सीड सोसायटियों एवं प्रदेश के प्रगतिशील कृषकों में वितरित किए। विवि ने 129 किस्मों के 14.871 क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर देशभर में ख्याति अर्जित की।

इस वर्ष भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुलपति प्रो. विजय सिंह तोमर को गेहूं उत्पादन में,देश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रशिस्त पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने प्रो तोमर सर्वश्रेष्ठ कुलपति के राष्ट्रीय अवार्ड (National "Best Vice Chancellor Award 2015) प्रशिस्त पत्र प्रदान कर सम्मानित किया । इसके पहले गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोधौगिकी विश्वविधालय, पंतनगर (उत्तराखंड) में प्रो.तोमर को लाईफ टाईम अचीवमेंट अवार्ड एवं महिंद्रा समृद्दी इंडिया एग्रीकल्चर राष्ट्रीय अवार्ड के तहत राष्ट्रीय कृषि शिक्षा सम्मान से नवाजा जा चुका है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की 5 सदस्यीय पिअर मॉनिटरिंग एण्ड रिव्यू टीम एवं मध्यप्रदेश विधानसभा की उच्चस्तरीय कृषि विकास समिति के 8 सदस्यीय टीम का आगमन हुआ। उन्होंने जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे अनुसंधान, विस्तार, शिक्षण एवं निर्माण आदि कार्यों का गहराई से अध्ययन कर कार्यों की सराहना की और आवश्यक सुझाव एवं दिशा–निर्देश भी दिए।

विवि की व्यवसाय योजना एवं विकास इकाई तथा कृषि निदान एवं व्यवसाय केन्द्र (बी.पी.डी.यूनिट) द्वारा कृषि उद्यामिता विकास के क्षेत्र में आयोजित 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 309 कृषक, व्यवसायी और युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण मुख्यतः बीज व्यवसाय प्रबंधन ,बीज का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं स्टोरेज, कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं महाराष्ट्र के लगभग सभी अधिकारियों को बीज उत्पादन प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया गया वर्तमान में जैविक खेती प्रमाण–पत्र कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें प्रदेश के 30 ग्रामीण युवक एवं युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त करने रहे हैं । वर्ष 2017 में उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड के जैविक उत्पादों के आउटलेट प्रबंधकों को प्रशिक्षण भी विवि में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

मध्यप्रदेश देश में गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन करने वाले प्रदेशों में प्रमुख है । देश से निर्यात होने वाले गेहूं का 35–40ः हिस्सा मध्यप्रदेश का होता है । देश में खाने के लिए उपयोग में आने वाला उन्नत गेहूं मध्यप्रदेश गेहूं के नाम से ही जाना जाता है । गेहूं की लगभग 17 प्रजातियों के विकास के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एम.पी.3288, एवं एम.पी.3211 ने उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है।

ऊर्जा विभाग की ओर से किसानों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं

राष्ट्रीय बायोगैस तथा दीनबंधु बायोगैस माडल संयंत्रों पर देय अनुदान के संबंध में शामिल बिंदु के संबंध में नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग द्वारा निम्न योजनाए शुरू की गई है।

(1) किसानों के लिए फ्लेट रेट पर विद्युत प्रदाय योजना – किसानों से कृषि पंप के लिए फ्लेट रेट पर रूपये 1400 प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से दो छ माही किश्तों में बिल की राशि ली जाती है। नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश एवं किसानों द्वारा देय बिल की राशि के अंतर की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को की जाती है। इस योजनान्तर्गत किसानों को वर्ष में दो समान किश्तों में नियामक आयोग द्वारा लागू विद्युत दर का मात्र लगभग पांचवा हिस्सा जमा करना होता है।

(2) 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के 5 अश्वशक्ति तक के पंप उपभोक्ताओं को निशुल्क विद्युत प्रदाय –

ऐसे कृषि उपभोक्ताओं को निशुल्क विद्युत प्रदाय की जा रही है,जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में की जा रही है।

(3) **अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में छूट–**

ऐसे उपभोक्ताओं में मासिक बिल में 25 यूनिट तक की विद्युत खपत पर एनर्जी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति भी राज्य शासन द्वारा विधुत वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में की जा रही है।

(4) **कृषक अनुदान योजनान्तर्गत किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदाय करने की योजना –**

किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदाय करने के लिये अंधोसंरचना के कार्य में लगने वाली रूपये 1.50 लाख तक की राशि में से 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को मात्र 6500 रूपए प्रति हार्सपावर की दर से राशि देय होती है तथा शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जाती है। अन्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के लिये यह राशि रूपए 10400 प्रति हार्सपावर देय है। राज्य शासन ने अगले 3 वर्षों में सभी अस्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को स्थायी कनेक्शनों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। वितरण कंपनियों द्वारा इस योजना को लागू करने में लगभग 5 लाख किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन का लाभ मिलेगा, जिससे किसान 1 से अधिक फसल की पैदावार कर सकेगा।

(5) **स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना –**

किसानों को स्वयं का ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिये राज्य शासन द्वारा स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना लागू की गयी है । इस योजनान्तर्गत यदि किसान चाहे तो वितरण कंपनी को 3 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज जमा कराकर स्वयं का ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकता है। इस ट्रांसफार्मर से अन्य किसानों को कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं।

पशुपालन से संबंधित योजनाएं

पशुपालन से संबंधित गतिविधियां तथा कार्यक्रम प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तथा प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालन की गतिविधियां सस्त एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर भूमिहीन एवं छोटे किसानों तथा महिलाओं में लाभकारी आजीविका के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही विपरीत परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदाओं के वक्त पशुपालन कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। पिछले कुछ सालों में किसानों को जलवायु परिवर्तन के कारण असमय बारिश, ओले, पाला या सूखे की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि व्यवसाय से उन्हें जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पवा रहा है, इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों का पशुपालन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, एवं यदि कृषक कृषि के साथ–साथ पशुपालन को भी अपनाते हैं, तो उन्हें कृषि से होने वाले नुकसान से बड़ी राहत मिल सकेगी।

सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों की आय पांच साल में दोगुनी होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसानों को पशुपालन से संबंधित योजनाओं का सीधे लाभ मिले। इसके साथ ही पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। इसके साथ ही पशु स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराना, वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन को प्रोत्साहन देना जरूरी है। इसके लिए पशुपालन विभाग ने ऐसी कार्ययोजना बनाई है जिसका सीधा लाभ पशुपालन उठा सकते हैं।

पशुओं की उत्पादकता में सुधार हेतु केवल मादा पशुओं ही नहीं नर पशुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा करने के लिए पशु की देसी नस्ल के साथ साथ संकर नस्ल एवं ग्रेडेड पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।

पशुपालन के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि पशु चिकित्सा का कवरेज बढ़ाया जाए। अभी भी ग्रामीण इलाकों में बीमार पशुओं का उचित इलाज नहीं होता, इससे वह काल कवलित भी होते हैं और उनका उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसके लिए पशु चिकित्सालयों का उन्नयन, नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना, पशु चिकित्सकों के नवीन पदों का सृजन किया गया है। ग्राम पंचायतों में 19000 गौ सेवक प्रशिक्षित किए गए हैं। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सालय के माध्यम से स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें एक नजर में देखें तो

- **कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना।**
- **गैर सरकारी संगठनों की सहायता से एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना।**
- **घर पहुंच कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं किट तथा प्रोत्साहन राशि का प्रदाय ।**

- **प्रदेश के नस्ल सुधार कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण, विस्तारीणकर एवं आधुनिकीकरण**
- **प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले गौवंशी एवं भैंस वंशीय सांडों का प्रदाय**
- **स्थानीय नस्ल को बढ़ावा देने एवं उच्च आनुवांशिक एवं उत्पादन वाले पशुओं के पालन को बढ़ावा देना**
- **पशु प्रबंधन एवं पालन–पोषण में सुधार**
- **संतुलित पशु आहार एंव खनिज मिश्रण को प्रोत्साहन**
- **चारा उत्पादन कार्यक्रम**
- **पशुधन बीमा योजना**
- **कुक्कुट पालन को बढ़ावा देना**
- **बकरी एवं सूकर पालन को बढ़ावा**
- **उत्पादित दूध का उचित मूल्य हेतु दूध के संग्रहण, संसाधन, मूल्य संवर्धन एवं विपणन के लिए सहकारिता आधारित कार्यक्रम को प्रोत्साहन**

वत्स पालन प्रोत्साहन योजना

(योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए)

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भारतीय देशी नस्ल के गौवंश पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च आनुवांशिक गुणों वाले वत्सों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है।
2	योजना	ऐसे समस्त पशुपालक जिनके पास भारतीय देशी उन्नत नस्ल के गौवंशीय पशु हैं तथा जिनका उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है एवं जिनका वत्स भारतीय देशी उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान/प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा उत्पादन हुआ है, ऐसी गायों के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि 5000 रूपए दो किश्तों में दी जाएगी एवं उनके

		वत्सों का संरक्षण करने हेतु राशि 500 रु.प्रतिमाह पशु आहार/औषधि के रूप में दो वर्षों तक प्रदाय की जाएगी। इस योजना में नर एवं मादा दोनों प्रकार के वत्स लाभान्वित हो सकेंगे।
3	हितग्राही	यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए।
4	योजना इकाई	भारतीय देशी उन्नत नस्ल की ऐसी गाय जिनका दुग्ध उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक हसी एवं उनका वत्स भारतीय देशी उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान/प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा उत्पादन हुआ है।
5	इकाई लागत	रु. 17000 रूपए (सत्रह हजार मात्र) शत–प्रतिशत अनुदान राशि हितग्राही एवं पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के संयुक्त खाते में जमा कर योजना की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर आहरित की जाएगी।
6	चयन प्रक्रिया	ऐसे समस्त पशुपालक जिनके पास भारतीय देशी उन्नत नस्ल के गौवंशीय पशु हैं तथा जिनका उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत उत्पादन 30 प्रतिशत अधिक है एवं जिनका वत्स भारतीय देशी उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान/प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा उत्पादन हुआ है, का पंजीयन एवं चयन विभाग द्वारा किया जाएगा। चयन समिति के समक्ष गायों के तीन बार के दोहन का औसत निकाला जाएगा एवं उच्च क्रम से प्रारंभ करते हुये उपलब्ध बजट अनुसार पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सकेगा।
7	चयन समिति	जिले के उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें समिति के अध्यक्ष होंगे एवं दो पशु चिकित्सा सहायक शल्य/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी सदस्य होंगे।
8	संपर्क	जिले के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी/पशु चिकित्सा विस्तार सहायक शल्यज्ञ एवं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं।

अनुदान के आधार पर बकरों का प्रदाय

(यह योजना सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना।
2	योजना	इस योजना में सभी वर्ग के बकरी पालक को उन्नत नस्ल का एक नर बकरा अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान।
3	हितग्राही	सभी वर्ग के बकरी पालक।
4	योजना इकाई	एक उन्नत नस्ल का नर बकरा।
5	इकाई लागत	8300 रूपए (आठ हजार तीन सौ रूपए मात्र)
6	चयन प्रक्रिया	सभी वर्ग के लिए 80 प्रतिशत एवं हितग्राही अंश 20 प्रतिशत।
7	चयन समिति	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन/ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन/जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
8	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषाधालय के प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

अनुदान के आधार पर वराह (नर सूकर) प्रदाय

(यह योजना केवल अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए)

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	देशी/स्थानीय सूकरों की नस्ल सुधार लाना।
2	योजना	इस योजना में केवल अनुसूचित जाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर का एक वराह (नर सूकर) अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान। योजना प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में क्रियान्वित।

3	हितग्राही	अनुसूचित जनजाति के वराह (सूकर) पालक।
4	योजना इकाई	एक उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य नर वराह(नर सूकर)।
5	इकाई लागत	5000 रूपये (पांच हजार रूपये मात्र)
6	चयन प्रक्रिया	अनुसूचित जाति के सूकर पालकों को 75 प्रतिशत अनुदान के आधार पर।
7	चयन समिति	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
8	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

अनुदान के आधार पर वराह यत्री (सूकर यत्री) प्रदाय

(यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)

क्र	**योजना**	**वितरण**
1	उद्देश्य	देशी/स्थानीय वराह (सूकर) की नस्ल सुधार लाना।
2	योजना	इस योजना में केवल अनुसूचित जनजाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर का एक वराह नर(सूकर) एवं दो मादा वराह (सूकर) अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान योजना प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में क्रियान्वित।
3	हितग्राही	अनुसूचित जनजाति के वराह (सूकर) पालक।
4	योजना इकाई	एक उन्नत नस्ल का नर वराह (सूकर) एवं दो मादा वराह (सूकर)।
5	इकाई लागत	15000 रूपये (पन्द्रह हजार रूपये मात्र)
6	चयन प्रक्रिया	अनुसूचित जनजाति के सूकर पालकों को 75 प्रतिशत अनुदान के आधार पर।

7	चयन समिति	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन।ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन/जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
8	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु औषधालय के प्रभारी, उपसंचालक पशु चिकित्सा।

अनुदान पर कुक्कुट इकाई प्रदाय (बैकयार्ड कुक्कुट इकाई)

(बिना लिंगभेद के 28 दिवसीय 40 चूजों की इकाई)

(यह योजना केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
2	योजना	इस योजना में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए। बिना लिंगभेद के 28 दिवसीय 40 लो–इनपुट चूजे, औषधि एवं परिवहन का प्रावधान योजना अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जिलों में ही लागू।
3	हितग्राही	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुक्कुट पालक।
4	योजना इकाई	बिना लिंगभेद के 28 दिवसीय 40 लो–इनपुट चूजे।
5	इकाई लागत	2225/ रुपये
6	अनुदान	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 80 प्रतिशत हितग्राही अंश 20 प्रतिशत।
7	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन/जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
8	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

अनुदान पर कड़कनाथ चूजे का प्रदाय

(यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं कड़कनाथ के संरक्षण हेतु।
2	योजना	इस योजना में केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए/ बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 कड़कनाथ चूजे खाद्यान्न, औषधि एवं परिवहन का प्रावधान योजना अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में ही लागू।
3	हितग्राही	अनुसूचित जनजाति के कुक्कुट पालक।
4	योजना इकाई	बिना लिंगभेद के 28 दिवसीय 40 कड़कनाथ चूजे।
5	इकाई लागत	4400/– रुपये
6	अनुदान	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 80 प्रतिशत हितग्राही अंश 20 प्रतिशत।
7	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
8	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषाधालय के प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

ग्रामीण स्तर पर समुन्नत पशु प्रजनन

(अनुदान प्रजनन योग्य सांड प्रदाय)

(यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए)

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	नस्ल सुधार
2	योजना	इस योजना के अंतर्गत प्रगतिशील पशुपालक अथवा प्रशिक्षित गौ सेवक को मुर्रा भैंस सांड प्रदाय किए जाते हैं। योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू। योजना सभी वर्गों के लिए ।
3	हितग्राही	सभी वर्ग के पशुपालक।
4	योजना इकाई	एक उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य मुर्रा भैंसा सांड प्रदाय।
5	इकाई लागत	45000/– रुपये
6	अनुदान	सभी वर्गों के लिए 80 प्रतिशत।
7	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन/ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
8	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषाधालय के प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

नन्दी शाला योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य देशी वर्णित गौरसांड प्रदाय)

(योजना सभी वर्ग के लिए)

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अवर्णित / श्रेणीकृत, गौरवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान सेवाओं हेतु पशुपालकों को अनुदान आधार पर प्रदाय।
2	योजना	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान आधार वर वर्णित नस्ल गौ–सांड यथा साहीवाल, थरपारकर, हरियाणा,गिरगौलव, मालवी, निमाड़ी, केनकथा आदि नस्ल के प्रदाय। योजना प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू।
3	हितग्राही	सामान्य वर्ग के पशुपालक जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि के साथ न्यूनतम 5 गौवंशीय पशुधन या जिनके पास कृषि भूमि नहीं है किन्तु 20 या उससे अधिक पशु हैं।
4	योजना इकाई	एक देशी वर्णित गौ–सांड।
प्रदायित सांड के प्रथम 60 दिवस के लिए पशु आहार।		
5	इकाई लागत	18,260.00 / – रुपये
6	अनुदान	प्रति इकाई अनुदान 80 प्रतिशत सभी वर्ग के पशुपालक।
7	चयन प्रक्रिया	आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगाद्य खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत में आवेदनों पर अनुमोदन प्राप्त करेगा। उपसंचालक प्राप्त प्रकरणों को उपलब्ध बजट अनुसार जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेगा। चयनोपरांत पशु चिकित्सा विभाग से अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अन्य शर्ते गौ विभाग द्वारा लागू की गई हैं।
8	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु औषाधालय के प्रभारी / उपसंचालक पशु चिकित्सा।

बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10.1) बकरी इकाई का प्रदाय

(यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए)

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना,हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मांस तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्दि करना।
2	योजना	योजना सभी वर्ग के भूमिहीन, कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए।
3	हितग्राही	सभी वर्ग के भूमिहीन, कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए।
4	योजना	रु.77456.00
5	अनुदान	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाती वर्ग के लिए 50 प्रतिशत।
6	प्रति ईकाई	अनुदान रु.38728/– सामान्य वर्ग के लिये 25 प्रतिशत अनुदान रु. 19364/–इकाई लागत का 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान, शेष बैंक ऋण।
7	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैंक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
8	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी पशु औषाधालय के प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

आचार्य विधासागर गौ संवर्धन योजना

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	दुग्ध उत्पादन में वृद्दिद्य हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्दि। रोजगार के अवसर प्रदाय करना।
2	योजना	योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए हितग्राही के पास 5 पशुओं हेतु न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा पशुओं की संख्या में वृद्दि होने से आनुपातिक रूप से वृद्दि करते हुए न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारण किया जाएगा। मिल्क रूट को क्रियान्वयन को प्राथमिकता।
3	हितग्राही	सभी वर्ग के सीमांत एवं लघु कृषक।
4	योजना इकाई लागत	पशुपालक न्यूनतम 5 या इसके अधिक पशु की योजना स्वीकृत करा सकेगा तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि रु.10.000 लाख तक होगी। • परियोजना लागत का 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही का स्वयं के अंशदान के रु में करनी होगी। • इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर या हितग्राही दारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से (अधिकतम रु. 25.000 प्रतिवर्ष) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगीद्य 5 प्रतिशत से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हित ग्राही को स्वयं करना होगी।
5	मार्जिन मनी सहायता	सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु.1.50 लाख / अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
6	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
7	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषाधालय के प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

बैंक ऋण एवं अनुदान पर 3 दुधारू इकाई

(यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए)

क्र	योजना	वितरण
1	उद्देश्य	दुग्ध उत्पादन में वृद्दि दृहितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2	योजना	योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए हितग्राही को पशु चिकित्सा का अनुभव हो। योजना क्लस्टर आधारित होगी, मिल्क रूट को क्रियान्वयन को प्राथमिकता, योजना पदेश के सभी जिलों में लागू
3	हितग्राही	सभी वर्ग वर्ग के सीमांत एवं लघु कृषक।
4	योजना इकाई / ईकाई लागत	

अ – गाय देशी नस्ल–गीर / थारपारकार / साहीवाल / हरियाणा

दुग्ध उत्पादन प्रति पशु प्रतिदिन	पशु की कीमत	परिवहन व्यय प्रति पशु	पशु बीमा 11.63 की दर से 5वर्ष के लिये	पशु आहार	औषधि व्यय	कुल योग	कुल इकाई लागत 3 दुधारू पशुओं के लिए रु.
6 लीटर प्रतिदिन	15,250 रु.	700 रु.	1774 रु.	हितग्राही स्वयं व्यवस्था करेगा	276 रु.	18,000 रु.	18000 X 3 = 54000 रु.

ब – गाय सकल एच.एफ / जर्सी / करन / स्विस

दुग्ध उत्पादन प्रति पशु प्रतिदिन	पशु की कीमत	परिवहन व्यय प्रति पशु	पशु बीमा 11.63 की दर से 5 वर्ष के लिये	पशु आहार	औषधि व्यय	कुल योग	कुल इकाई लागत 3 दुधारू पशुओं के लिए रु.
8 लीटर प्रतिदिन	27,750 रु.	700 रु.	3227 रु.	हितग्राही स्वयं व्यवस्था करेगा	323 रु.	32,000 रु.	32000 X 3 = 96000 रु.

स – ग्रेडेड मुर्रा

दुग्ध उत्पादन प्रति पशु प्रतिदिन	पशु की कीमत	परिवहन व्यय प्रति पशु	पशु बीमा 11.63 की दर से 5 वर्ष के लिये	पशु आहार	औषधि व्यय	कुल योग	कुल इकाई लागत 3 दुधारू पशुओं के लिए रु.
8 लीटर प्रतिदिन	30,500 रु.	700 रु.	3547 रु.	हितग्राही स्वयं व्यवस्था करेगा	253 रु.	35,000 रु.	35000 X 3 = 1,05,000 रु.

टीप : – दुधारू पशु प्रथम ब्यात तथा दुधारू पशु के वत्स की आयु 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए।

5	अनुदान	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु इकाई लागत का 33 प्रतिशत प्रति इकाई दृसामान्य वर्ग हेतु इकाई लागत का 25 प्रतिशत, 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान, शेष बैंक ऋण।
6	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित। प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
7	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारीध् पशु औषाधालय के प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

पशुधन बीमा योजना

योजना प्रदेश के 20 जिलों – बालाघाट, भिण्ड, विदिशा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, गुना, इंदौर, मुरैना, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी में लागू है

योजना का स्वरुप निम्नानुसार है : –

- योजना गौ– भैंस वंशीय पशु, जिनकी कम से के कम एक ब्यात हो चुकी हो, पशु बीमा किया जाएगा।
- एक हितग्राही को अधिक से अधिक दो पशुओं के बीमा का लाभ प्राप्त हो सकेगा/योजना का लाभ समस्त वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाएगा।
- बीमा राशि का 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत हितग्राही अंशदान के साथ 25 प्रतिशत राज्यांश से पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

संपर्क– संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

गोपाल पुरस्कार योजना

संदर्भ/पृष्ठभूमि– भारतीय उन्नत नस्ल के गौरवंशीय पशुओं के पालन को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये गोपाल पुरस्कार संचालित की गई है। जिससे पशुपालकों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा एवं भारतीय उन्नत नस्ल की गाय से उन्नत नर वत्स खेती के लिए उपलब्ध होंगे, साथ ही दुग्ध उत्पादन में वृद्दि एवं भारतीय उन्नत नस्ल के गौवंशीय उत्पादक पशुओं की संख्या में वृद्दि होगी।

योजना– विकासखण्ड स्तरीय, जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में समिति गठित कर संपन्न करेंगे, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तर पर संचालक पशु चिकित्सा सेवायें की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा संपन्न कराई जाएगी।

प्रतियोगिता वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी।

हितग्राही /सभी वर्ग के पशु पालक जिनके पास भारतीय उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध हो।

योजना इकाई लागत –

विकासखंड स्तरीय पुरस्कार :–

- प्रथम पुरस्कार रू. 10.000
- द्वितीय पुरस्कार रू. 7,5000

- तृतीय पुरस्कार रू. 5.000

जिला स्तरीय पुरस्कार : –

- प्रथम पुरस्कार रू. 50.000
- द्वितीय पुरस्कार रू. 2,5000
- तृतीय पुरस्कार रू. 15.000
- सांत्वना पुरस्कार रू. 5000X7 रू. 35.000

राज्य स्तरीय पुरस्कार –

- प्रथम पुरस्कार रू. 2.00 लाख
- द्वितीय पुरस्कार रू. 1.00 लाख
- तृतीय पुरस्कार रू. 0.50 लाख
- सांत्वना पुरस्कार रू. 10,000 X 7 रू. 0.70 लाख

5.	पुरस्कार	विकासखंड, जिला, राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं जिला, राज्य स्तरीय 7–7 सांत्वना पुरस्कार।
6.	चयन प्रक्रिया	योजना विकासखंड स्तरीय, जिला एवं राज्य स्तरपर संचालित की जाएगी। प्रतियोगिता में ऐसी दूध देने वाली भारतीय नस्ल की गायों को पंजीकृत किया जाएगा, जिसका दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 5 लीटर या अधिक हो।
7.	सम्पर्क	सम्बंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी/उप संचालक पशु चिकित्सा पुरस्कार एवं जिला, राज्य स्तरीय 7–7 सांत्वना पुरस्कार।

योजनान्तर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा (दुधारू देशी/संकर गाय व भैंस. अन्य जानवर जैसे–घोड़ा/गधा/ऊँट/नर–गौवंश भैंस वंश/बकरी/भेड़/सूकर/खरगोश इत्यादि) से लाभान्वित किया जाएगा। अब यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर वाले हितग्राहियों हेतु केन्द्रांश 25 प्रतिशत, राज्यंश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केन्द्रांश 40 प्रतिशत, राज्यंश 30 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत पर संचालित की जा रही है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ग्रामीण बैंकयार्ड कुक्कुट विकास योजना –

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समस्त वर्गों के हितग्राहियों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर यह योजना वर्ष 2010–11 से मध्यप्रदेश में शुरू की गई। वर्ष 2014 से इस योजना को संशोधित कर राष्ट्रीय पशुधन मिशन ने सम्मिलित किया गया है। अब यह 75 प्रतिशत केन्द्रांश व 25 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है। योजना के इकाई लागत राशि रु. 3300 है। योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को बिना लिंग भेद के 4 सप्ताह के लो इनपुट टेक्नालॉजी वाले 45 पक्षी दो चरणों में क्रमशः 25 व 20 चूजे प्रदाय किए जाते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए दड़बा बनाने हेतु रू. 1500 दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे हितग्राही के खाते में जमा किए जाते हैं। हितग्राहियों को चूजे मदर यूनिट के माध्यम से प्रदाय किए जाते हैं।

एक मदर यूनिट से 300 हितग्राहियों को चूजे प्रदाय किए जाते हैं। मदर यूनिट के हितग्राही को राशि रु. 60,000 अनुदान दिया जाने का प्रावधान है जो सीधे उनके खाते में जमा किया जाता है। मदर यूनिट के हितग्राही को 4 सप्ताह के चूजों की राशि रू. 40 प्रति चूजा का भुगतान उनके द्वारा बी.पी.एल. हितग्राहियों को प्रदाय के उपरांत किया जाता है।

पशुधन बीमा योजना

योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर दुधारू/गैर दुधारू/अन्य पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि के प्रतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना के क्रियान्वयन इकाई म.प्र. पशुधन एवं कुक्कुट विकास शिगम हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से पूर्व संचालित पशुधन बीमा योजना प्रारूप में संशोधन कर, पशुधन बीमा को रिस्क मैनेजमेंट के रूप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन में शामिल किया गया है। जिसमे प्रदेश के समस्त जिले शामिल किए गए हैं।

योजनान्तर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा (दुधारू/देशी/संकर) गौसेवक प्रशिक्षण (प्रारंभिक एवं रिफ्रेशर)		
क्र	**योजना**	**वितरण**
1	उद्देश्य	शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कारना।
2	हितग्राही	प्रारंभिक प्रशिक्षण – सभी वर्ग के 10 वीं पास शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार का चयन जनपद पंचायत के अनुमोदन पर किया जायेगा।
रिफ्रेशर प्रशिक्षण -प्रारंभिक प्रसिक्षण प्राप्त गौसेवक|		
3	चयन प्रक्रिया	प्रारंभिक प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत से वहां के निवासी 10 वीं पास शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार का चयन जनपद पंचायत के अनुमोदन पर किया जाएगा।
	रिफ्रेशर प्रशिक्षण	प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त गौसेवकों का वरिथ्ता के आधार पर चयन किया जाएगा।
4	ईकाई लागत	प्रारंभिक – 1000.00 रूपये प्रतिमाह के मान से छह माह हेतु रु. 12000.00 की कीट, इस प्रकार (कुल रु. 7200.00 प्रति गौसेवक)
रिफ्रेशर प्रशिक्षण –500.00 की stipend, एवं 100.00 की पात्रता सामग्री इस प्रशिक्षण में क्रमशः 6000.00 (प्रति गौसेवक)		
.5	स्टायपंड	प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण में क्रमशः रू. 6000.00 (प्रति गौसेवक) एवं 500.00 का stipend, शत–प्रतिशत विभाग द्वारा डे होगा। इसी प्रकार 1200.00 की कीट, (प्रति गौसेवक) एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण– के लिए 100.00 के पथ्य सामग्री (प्रति गौसेवक) भी–शत प्रतिशत विभाग द्वारा डे होगी।
.6	सम्पर्क	सम्बंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी।

कुछ मुख्य बिंदु	यह कार्य कर सकते हैं
पता लगाएं	• अपने कार्यक्षेत्र में बीस साल पहले और अबकी स्थिति का पता लगाएं कि पहले किस तरह का पशुपालन था और उसका किसान के जीवन से किस तरह का जुड़ाव था। • पशुपाल और खेती के जुड़ाव पर एक नोट तैयार करें। • जैविक खेती में पशुपालन किस तरह से मददगार है। इस बात का पता लगाए। • मशीनीकरण का पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ा है। • कुछ सफल पशुपालकों की सफलता की कहानियां तैयार करें, जिसमें उनके काम का पूरा वर्णन हो।

मत्स्य – पालन की योजनाएं

प्रदेश में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जलक्षेत्र में मत्योद्योग विकास एवं प्रबंधन के अधिकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतरित किए गए हैं। इन संस्थाओं द्वारा पात्र हितग्राही मछुआ समूह/मत्स्य सहकारी समितियों को निर्धारित प्राथमिकता क्रम अनुसार 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किए जाते है। प्रदेश में मत्स्योद्योग विकास हेतु निम्न योजनाएं संचालित हैं –

राज्य आयोजना

1– मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता

उद्देश्य – सामान्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मछूआरोंको मत्स्य पालन के लिए अनुदान प्रदान करना।

योजना का स्वरुप और कार्यक्षेत्र : योजना में ऐसे सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्पालक जो ग्राम पंचायत एवं अन्य शाश्कीय तलब पत्ते पर लेकर मत्स्य–पालन करते हैं, उनको तालब की पट्टाराशि भुगतान, मछली बीज संचयन, मत्स्य आहार, उर्वरक, दवा, जाल आदि के लिए पट्टाअवधि में अधिकतम 15000 रूपए तक की सहायता वस्तु के रूप में दी जाती है। योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।

सम्पर्क – जिला अधिकारी, मध्यप्रदेश।

2– **मछुआ सहकारिता (पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को आरती सहायता)** मत्योद्योग विभाग द्वारा पजीकृत मछुआ सहकारे समितियों मछली पालन हेतु आरती सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाती एवं जनजाति वर्ग की तलब, पट्टाधारक मछुआ सहकारी समितियों का पट्टा अवधि में पट्टाराशि, मछली बीज, नाव, जाल, हिस्सापूंजी, अंशदान आदि के लिए 1.50 लाख रूपए प्रति 100 हेक्टयेर की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जाता है। पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां निर्धारित प्रारूप में जिला पंचायत/विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

3– **शिक्षण–प्रशिक्षण योजना** – मत्स्योद्योग विभाग द्वारा मत्स्य पालन का 07 दिवसीय प्रशिक्षण (05 दिवसीय प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय अध्ययन भ्रमण) दिया जाता हैद्य जिसमें पति हितग्राही 2775/– का प्रावधान है। सभी श्रेणी के मछुआरों को मछली पालन के तकनीक एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता हैं

प्रशिक्षण हेतु मत्स्य कृषकों से प्राप्त आवेदनों को प्राप्त कर उनकी आवश्यकता अनुसार मछुआरों का चयन कर जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन कराया जाता है।

प्रत्येक प्रशिक्षणर्थी के अपने निवास स्थान से प्रशिक्षण केंद्र तक आने–जाने का एक बार का वास्तविक किराया या रूपये 200/– जो भी कम हो तथा प्रशिक्षण मानदेय 150/– के मान से 5+2 = 7 दिवस के कुल रूपये 1050/– एक बार एवं एक्सपोसर विजिट रूपये 500/– के मान से दो दिवस = रूपये 1000/– एक बार क्रियान्वयन एजेंसी विभाग रूपये – 75/– के मान से 5+2=7 दिवस रूपये 525/– एक बार इस प्रकार कुल रूपये 2775/– का प्रावधान है।10

4. **फिशरमैन क्रेडिट कार्ड** – किसान क्रेडिट कार्ड के अनुरूप फिशरमैन क्रेडिट के तहत 0 (शून्य) प्रतिशत ब्याज दर पर मत्स्य कृषकों के अल्पावधि ऋण उपलब्ध होने से मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट हेतु आवश्यक इनपुट्स नाव, जाल आदि का उपयोग कर मत्स्योत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे। यह योजना मध्यप्रदेश से समस्त उत्पादकता में वृद्धि कर सकेंगे। यह योजना मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में लागू है। योजना अंतर्गत ग्रामीण, तालाबों में मत्स्य पालन हेतु रूपये 18,300 रूपये प्रति हैक्टेयर, सिंचाई तालाबों में मत्स्यपालन हेतु 23000 रूपये प्रति हैक्टेयर, (विभाग एवं महासंघ), महासंघ के अधीनस्थ मत्स्याखेट का कार्य करने वाले मत्स्य पलकों को भी नाव क्रयकरण हेतु 10,000 रूपये तथा जाल क्रय करण हेतु 5,000 रूपये का प्रावधान है।

5. **मत्स्य आहार प्रबंधन योजना** – ग्रामीण तालाबों के उत्पादकता 2500 किलो प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाए जाने के लिए पूरक आहार के उपयोग हेतु मत्स्य आहार प्रबंध योजना प्राम्भ की गई है जिसके परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मत्स्य आहार प्रबंधन योजना प्रारंभ की गयी है।

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त बारहमासी तालाबों का चयन गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिस पर प्रति हेक्टेयर 50,000 रूपए की योजना प्रस्तावित है। इस लागत का 10 प्रतिशत 5000 रूपये सम्बंधित हितग्राही का अंशदान होगा तथा शेष 45,000 रूपए शासन द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में एक बार प्रदाय किया जाएगा। योजना अंतर्गत राशि 50,000 रूपये प्रति हैक्टेयर के मान से मत्स्य कृषकों को फर्मूलेटेड फीड प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।

केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं

1. विश्व बैंक पोषित मत्स्य कृषक विकास अभिकरण –

स्वयं की भूमि में तलब निर्माण –

योजना अंतर्गत स्वयं की भूमि में एक हेक्टेयर का तालब निर्माण करने पर 3.00 लाख रूपए के बैंक ऋण की व्यवस्था मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना अंतर्गत की जाती है जिसमें सामान्य जाति के मत्स्य कृषक को 20 प्रतिशत (अधिकतम 60,000 रूपये) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषक को 25 प्रतिशत (अधिकतम 75,000 रूपये) अनुदान राशि प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत किसी भी मत्स्य कृषक को अधिकतम 5 हेक्टेयर तक के तलब निर्माण पर अनुदान राशि का प्रावधान है।

2. मछुआ आवास योजना –

केंद्रीय प्रवर्तित मछुआ आवास योजना अंतर्गत मछुआरों को मूल सुविधाएँ आवास, पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मछुआ आवास योजना प्रदेश में क्रियान्वित है। उक्त योजना में मछुआरों को 75,000 रूपये की लागत के आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता शत–प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही है। हितग्राही स्वयं के आवास निर्माण का कार्य करते हैं। योजना 50–50 केन्द्रांश एवं राज्यांश के सहयोग से चलाई जा रही है। योजना में मछुआरों को आवास हेतु 75,000 रूपये नलकूप हेतु 40,000 रूपए एवं कम्युनिटी हॉल हेतु 2.00 लाख रूपए का प्रावधान है।

3. बचत सह राहत योजना –

बंद ऋतु में मछुआ सहकारी समितियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के विभागीय जलाशयों एवं मछली पालन हेतु पट्टे पर दिया गया। ग्रामीण/सिंचाई तालाबों के मत्स्याखेट कार्य में संलग्न मछुआ सहकारी समिति के ऐसे सदस्य जिनके जीविकोपार्जन का मुख्य जरिया मत्स्याखेट है। उन मछुओं की पहचान कर उन्हें वर्षा ऋतु की अवधि में योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध करना है। योजना अनुसार 100 रूपए प्रति हितग्राही प्रतिमाह के मान से जिला मुख्यालय के डाकघर/राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में संयुक्त खाता खुलवाकर चालू वर्ष के माह सितम्बर से नियमित रूप से नौ माह तक राशि जमा की जाती है। प्रत्येक हितग्राही की जमा राशि 900 रूपए एवं उसके समतुल्य 900 रूपए राज्यांश एवं 900 रूपए केन्द्रांश इस प्रकार कुल 2700 रूपए का भुगतान बंद ऋतु की अवधि में किया जाता है। योजना का लाभ मछुआ सहकारी समिति/समूह के सभी सदस्य ले सकते हैं।

सम्पर्क – जिला अधिकारी मत्स्योद्योग।

4. मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा –

मत्स्य पालन करते समय दुर्घटना की स्थिति निर्मित होने पर मस्त्योद्योग विभाग द्वारा मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। मछुआरों को योजना अंतर्गत बीमा प्रीमियम की राशि केंद्र एवं राज्य के परस्पर सहयोग (केन्द्रांश 10.13 रूपए एवं राज्यांश 10.14 रूपए कुल 20. 27 प्रतिशत रूपए प्रति मछुआ) से बीमा कंपनी (राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली) को दिया जाता है। योजना अंतर्गत मछुआरों को स्थाई अपंगता एवं मृत्यु होने पर दो लाख रूपए तथा अस्थाई अपंगता होने पर एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग से सदस्य जो मछली पकड़ने एवं पालने के कार्य में सक्रिय रूप से संलाघ पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/समूह के सदस्य योजना का लाभ ले सकते हैं।

अन्य योजनाएं

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नानुसार कार्य किए जा रहे हैं – शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन क्षेत्र का विकास– योजनान्तर्गत शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, एयारेटर जनरेटर एवं पैकिंग शेड निर्माण कर किया गया है। प्रक्षेत्रों पर ब्रदर्स पोंड, हेचरी एवं अतिरि संवर्धन क्षेत्र निर्माण का मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई गई है।
2. निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र विकास के लिए निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र विकास अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 5 हैक्टेयर तक संवर्धन क्षेत्र विकास करने पर 10.00 लाख रूपए/हेक्टेयर के मान से ऋण स्वीकृत कराया जाता है जिस पर 50 प्रतिशत के मान से राशि 5.00 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर के मान से अनुदान देय है।
3. **हाकर्स कॉर्नर की तरह ग्राम/ कस्बों के मत्स्य बाजार का निर्माण** – जिसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को मत्स्य बाजार निर्माण हेतु इकाई लागत 3.50 लाख रूपए उपलब्ध कराई जा रही है।
4. **जलाशयों पर लेंडिंग सेंटर का निर्माण** – जलाशयों पर मछुआरों को मछली, जाल आदि रखने एवं धूप और बारिश के लिए इकाई लागत 3.50 लाख रूपए के लेंडिंग सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है।

नेशनल मिशन फार प्रोटीन सप्लीमेंट्स –

योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र में मत्स्यपालन करने हेतु एक हेक्टेयर का नवीन तालब निर्माण एवं इनपुट्स पर 7.00 लाख रूपए व्यय करने पर 40 प्रतिशत 2.80 लाख रूपए भारत शासन ने अनुदान के रूप में देय है। योजना अंतर्गत किसी भी हितग्राही को अधिकतम 5 हेक्टेयर तक के नवीन तालब निर्माण/इनपुट्स पर अनुदान राशि प्रदान की जाति है।

म.प्र. मत्स्य महासंघ मछुआरों के कल्याण हेतु लागू

1— आजीविका सहयोग योजना (डेफर्ड वेजेस योजना) —

बंद ऋतु में मछुआ परिवार की आजीविका हेतु महासंघ द्वारा यह योजना चलाई जा रहे है। जिसमें मछुआ से वर्ष में आखेटित मछली पर रु. 3 प्रति किलो की दर से राशि उनके प्रतिफल से काटी जाकर इतनी है। राशि महासंघ द्वारा मिलाकर उन्हें कुल उत्पादन पर रू. 6 प्रति किलो के मान से राशि बंद ऋतु में वितरित की जाती है।

2— 80:20 नाव—जाल अनुदान योजना —

महासंघ द्वारा उनके जलाशयों में कार्यरत मछुओं को नाव—जाल क्रय हेतु 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

3— जनश्री बीमा योजना —

महासंघ द्वारा उनके अधीनस्थ जलाशयों के कार्यरत मछुओं के लिए भारतीय जीवन बीमा के 'जनश्री बीमा योजना' लागू की गई है जिसकी प्रीमियम रु. 200 प्रति मछुआ है जिसमे से रु. 100 भारतीय जीवन बीमा एवं शेष 100 रु. में से 50 रु. महासंघ द्वारा तथा 50 रु. मछुओं द्वारा मिलाए जाते हैं।

योजना से लाभ —

1. मछुओं की मत्स्याखेट कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु/पूर्ण अशक्तता होने दो आँखें या दो अंगों के हानि होने पर रु. 75000 की सहायता आश्रित को प्राप्त होती है।
2. एक आँख या एक अंग की हानि होने पर 37,000 राशि प्राप्त होती है।
3. प्राकृतिक मृत्यु होने पर आश्रित को रु. 30,000 राशि प्राप्त होती है।
4. इस योजना में मछुआरों के कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत दो बच्चों को प्रत्येक माह में 100 रु. की छात्रवृत्ति भी प्राप्त होती है।

4. गंभीर बीमारी के निदान हेतु अनुदान योजना —

महासंघ द्वारा उसके जलाशय में कार्यरत मत्स्य समितियों के मछुआरों एवं उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु सहायता राशि अनुदान स्वरुप उपलब्ध कराई जाते हैं।

योजना से लाभ –

इस योजना में अतिगंभीर प्रकरणों जैसे ह्रदय, किडनी, लीवर आदि ट्रांसप्लांट, मेजर सर्जरी एवं कैंसर आदि रोगों के इलाज हेतु रु. 40,000 के सहायता राशि मछुओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को दी जाती है एवं गंभीर बीमारी जैसे ह्रदय, किडनी रोग से सम्बंधित अन्य बीमारियों एवं मीनार एक्सीडेंटल सर्जरी आदि प्रकरणों में राशि रु. 20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

5. शिक्षा प्रोत्साहन योजना –

शिक्षा के प्रति मछुओं के बच्चों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से महासंघ द्वारा लागू इस योजना में मछुओं के बच्चे जो 8 वीं, 10 वीं एवं 12 वीं, में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें क्रमशः राशि रु. 2000 एवं 1000 तथा जिनके 80 प्रतिशत से अधिक अंक आते हैं उन्हें रु. 5000 का विशेष पुरस्कार दिया जाता है।

6– निषादराज छात्रवृत्ति –

महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआ परिवार के मेधावी छात्र – छात्राओं को उच्च शिक्षा में अध्ययन जारी रखने के लिए प्रात्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई हैं।

योजना से लाभ –

1– योजना में तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लेट द्वारा लॉ कोर्सेस एवं समानांतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी को अधिकतम राशि रु. 20,000 या वास्तविक व्यय के मान से छात्रवृत्ति दी जाती है।

2 – योजना में गैर तकनीकी शिक्षा जैसे बी.ए, बी.एस.सी., बी.एफ, एस.सी., बी.सी.ए., बी.कॉम, एग्रीकल्चर, लॉ आदि सामानांतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर अधिकतम राशि रु. 10,000 या वास्तविक व्यय जो भी कम हो के मान से छात्रवृत्ति दी जाती है।

मैदानी/प्रायोगिक कार्य

कुछ मुख्य बिंदु	यह कार्य कर सकते हैं
मैदानी कार्य	**अपने क्षेत्र में मछली पालन के क्षेत्र में हो रहे काम का पता कीजिए और उनका भ्रमण कीजिए।** **इस बात का पता लगाईये कि मछली पालन से किसानों की आय किस तरह बढ़ी है।** **अपने क्षेत्र के मछुआरों से बातचीत कर पता कीजिए कि मछली पालन के लिए क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं।**

उद्यानिकी

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। वर्ष 2009–10 से उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 2.2 गुना बढ़ा है। उत्पादन में भी तकरीबन 3.7 गुना बढोत्तरी हुई है। वर्तमान में उद्यानिकी फसलों का 15.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, इसके साथ ही उत्पादन भी 247.55 लाख मीट्रिक टन है। सरकार का मानना है कि किसानों की आय सन 2022 तक दोगुनी हो जाए इसके लिए जरूरी है कि उद्यानिकी क्षेत्र पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए। इसके लिए निम्न बिंदुओं के तहत रणनीतिक प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

- प्रदेश में मिल्क रूट की तरह फ्रूट रूट तथा वेजीटेबल रूट बनाकर उद्यानिकी फसलों के परिवहन एवं विपणन हेतु संस्थागत व्यवस्था तैयार की जाएगी।
- फ्रूट एवं वेजीटेबिल रूट पर क्लस्टर चयन कर उद्यानिकी का विस्तार क्लस्टर पद्धति से किया जाएगा।
- मौसम पारिवर्तन को ध्यान रखते हुए प्रदेश में तीन ग्रीन हाउस के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे अन्य आधारभूत सुविधाएं केंद्रीकृत तरीके से उपलबध कराई जा सकें।
- खरीफ प्याज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्याज के मूल्य में स्थिरता लाने के साथ–साथ कृषकों को उचित मूल्य मिल सकेगा।
- फसल तुड़ाई उपरांत प्रबंधन हेतु अति आवश्यक अधोसंरचनराएं–कोल्ड स्टोरेज, प्याज भंडार, गृह, पैक हाउएस इत्यादि का जाल बिछाया जाएगा।
- उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में जैविक खेती पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा।
- उद्यानिकी की फसलों जैसे–लहसुन, अमरूद, प्याज, टमाटर, अनार, आलू आदि के प्रसंस्करण हेतु लघु एवं मध्यम प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- उद्यानिकी उत्पादों के विपणन हेतु कृषि उपज मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

उत्पादकता बढ़ाने हेतु तकनीकी रणनीति

- हर साल बीस रोपणियों का आधुनिकीकरण
- उच्च गुणवत्ता की पौध रोपण सामग्री कृषकों को उपलब्ध कराना
- माइक्रो इरीगेशन को फर्टीगेशन के साथ बढ़ावा देना
- रोग रहित उद्यानिकी फसल की पैदावार में वृद्धि हेतु मल्चिंग पद्धति को बढ़ावा देना
- यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
- कृषकों को प्रशिक्षण देना

फल–पौध रोपण कार्यक्रम

योजना का उद्देश्य– जिले के पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्दि करना ।

योजना का कार्यक्रम का कार्य एवं विस्तार रू यह योजना प्रदेश के सभी 51 जिलों में क्रियांविन्त है।

चयनित फसलें– जिले में कृषक द्वारा ली जा रही फलदार/कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर/ग्वालियर के उद्यानिकी विभाग द्वारा अनुशंसित सभी फलदार फसलें ।

योजना का स्वरुप – हितग्राही को कम से कम 194 हैक्टेयर और अधिकतम 4 हैक्टेयर तक (एक फल) के रोपण पर अनुदान की पात्रता होगी। फलदार फसलों पर स्वयं के साधन से रोपण करने पर एवं बैंक ऋण पर भी प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा।

अनुदान की पात्रता– योजना के तहत नाबार्ड धविभाग द्वारा प्रति हैक्टेयर निर्धारित लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान देय होगा ।

हितग्राही चयन की प्रक्रिया–

1. योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जाएगा।
2. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
3. हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहिए।
4. सामान्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का चयन अलग–अलग किया जावेगा। इनकी सूचियां भी अलग–अलग बनाई जावेगी। सूची बनाने का कार्य प्रतिवर्ष 28 फरवरी तक पूर्ण किया जाएगा।
5. फलोद्यान रोपण हेतु कृषक हितग्राही की वरिष्ठता सूची उद्यान अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन तिथि के अनुसार बनाई जाए। सूची बनाने की सुविधा हेतु कृषकों के आवेदन रजिस्टर में प्राप्ति की तिथि अनुसार पंजीकृत किया जावेगा।रजिस्टर के अनुसार सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाएगी।
6. कृषक अपने निजी कारणों से कई बार भाग लेते हैं या फल पौध रोपण का रकबा कम कर देते हैं। ऐसी स्थिति में योजना की लक्ष्य पूर्ति प्रभावित न हो इसलिए लक्ष्य के अनुसार से 20 प्रतिशत अधिक रकबे व हितग्राही की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाए। इस पूर्ण सूची का ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन कराया जाता है। ग्राम सभा में अनुमोदन के पश्चात अनुमोदित सूची में किसी भी स्तर से परिवर्तन नहीं किया जाता।

7. सहायक संचालक उद्यान द्वारा अनुदान की कृषकवार राशि की स्वीकृति प्राप्त कर प्रथमतः शासकीय संस्थानों यथा विभागीय रोपणियों/प्रक्षेत्रों कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के उत्पादित तथा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रदायित पौधों की राशि अनुदान राशि से समायोजित कर शेष अनुदान कृषक के खाते में अनुदान की जाती है ।

सब्जी क्षेत्र विस्तार

योजना का उद्देश्य–

1. गुणवत्तायुक्त अधिक उपज देने वाली किस्मों के सब्जी बीज किसान द्वारा उपयोग करने हेतु तथा सब्जी फसलों का क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना।
2. सब्जी फसलों का क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना।
3. कृषकों को परम्परागत कम आय वाली खद्यान्न फसलों के स्थान पर अधिक आय देने वाली सब्जी फसलों की खेती की ओर प्रोत्साहित करना।
4. सब्जी उत्पादन कर सब्जी उत्पादकों की आय में वृद्दि करना।
5. उत्पादन बढ़ाकर सब्जी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराना।

योजना का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार– प्रदेश के संपूर्ण जिले।

योजना का स्वरुप –

1. योजना के तहत कृषक को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रावधान है, जिसकी न्यूनतम सीमा 0.10 हेक्टेयर है। कृषक को अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक खरीफ, रबी एवं जायद में अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा।
2. योजनान्तर्गत निर्धारित सीमा में उन्नत.संकर सब्जी बीज की अनुदान स्वरुप उपलब्ध कराए जाते है।
3. कृषक को नवीन भूमि/खाद्यान्न फसलों के स्थान पर सब्जी की फसल लेने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

3. किस किस जिले के लिये कौन–कौन सी सब्जी फसलों को बढ़ावा दिया जावेगा, यह निर्णय जिला स्तर की अनुशंसा पर राज्य स्तरीय कमेटी करेगी।

अनुदान की पात्रता –

1. सामान्य,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को उन्नत/संकर सब्जी उत्पादन हेतु 12,500 रूपये प्रति हेक्टेयर की बीज एवं अन्य आदान सामग्री प्रदाय कर अनुदान राशि से समायोजित की जाती है।
2. कन्द वाली व्यावसायिक फसल जैसे आलू, अरबी फसल उत्पादन हेतु अधिकतम 25,000 रूपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान बीज के रूप में देय होगा।
3. सब्जी फसलों के लिए लगने वाली आदान सामग्री के लागत व्यय का निर्धारण संचालनालय स्तर पर गठित समिति करेगी, जिसमें सदस्य के रूप में कृषि विश्वविध्यालय जबलपुर एवं ग्वालियर उद्यानिकी विभाग के वैज्ञानिक, नाबार्ड के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सदस्य होंगे।

हितग्राही चयन की प्रक्रिया –

1. हितग्राही की सूची, खरीफ, रबी एवं जायद हेतु अलग–अलग मुख्य फसलों की वर्षवार ऑनलाईन पंजीयन के आधार पर उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा तैयार की जाती है।
2. जिलों को दिए गए बजट प्रावधान के विभिन्न लेखा शीर्षो में प्रावधानित राशि के आधार पर हितग्राही का चयन अलग–अलग किया जाएगा।
3. हितग्राही कृषकों की यह सूची संबंधित ग्राम सभा से अनुमोदित कराई जाएगी। यह सूची लक्ष्य से 20 प्रतिशत अधिक होगी। चयन लाटरी से किया जाएगा।
4. इस अनुमोदन सूची में किसी भी अन्यय स्तर से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुमोदित प्रतीक्षा सूची से आवश्यकता होने पर कृषकों को कार्यक्रम में शामिल करने का अधिकार प्रतीक्षा सूची के क्रमानुसार सहायक संचालक उद्यान को होगा। सूची सूचनार्थ जिला पंचायत के समक्ष रखेंगे।
   ग्राम सभा में अनुमोदित सूची के अनुसार उद्यान अधीक्षक अनुदान प्रकरण तैयार कर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तुत करेंगे।
5. वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा फसल अवधि में भौतिक सत्यापन किया जाता है ।
6. प्रमाणित/आधार आलू बीज की व्यवस्था विभाग द्वारा शासकीय प्रक्षेत्रों/रोपणियों कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम तथा आलू बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं से ली जाकर आलू बीज की राशि का भुगतान विभाग द्वारा सीधे प्रदाय संस्थाओं को किया जाता है।

मसाला क्षेत्र विस्तार

योजना का उद्देश्य –

1. गुणवत्तायुक्त अधिक उपज देने वाली किस्मों के मसाला बीज किसान द्वारा उपयोग करने हेतु तथा मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्दि करना।
2. कृषकों को परम्परागत कम आय वाली खाद्यान्न फसलों के स्थान पर अधिक आय देने वाली सब्जी फसलों की खेती की ओर प्रोत्साहित करना।
3. मसाला उत्पादन कर सब्जी उत्पादकों की आय में वृद्दि करना।
4. उत्पादन बढ़ाकर मसाला उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मसाला उपलब्ध कराना।

योजना का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार – प्रदेश के संपूर्ण जिले।

योजना का स्वरुप–

1. कृषक को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रावधान है, जिसकी न्यूनतम सीमा 0.10 हेक्टेयर है। अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक खरीफ, रबी एवं जायद में अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा।
2. योजनान्तर्गत निर्धारित सीमा में उन्नत.संकर एवं अन्य आदान मसाला बीज अनुदान स्वरुप उपलब्ध कराया जाएगा।
3. कृषक को नवीन भूमि/खाद्यान्न फसलों के स्थान पर मसाला की फसल लेने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
4. किस–किस जिले के लिये कौन–कौन सी मसाला फसलों को बढ़ावा दिया जावेगा,यह निर्णय जिला स्तर की अनुशंसा पर राज्य स्तरीय कमेटी करेगी।

अनुदान की पात्रता –

1. सामान्य/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को उन्नत/संकर मसाला उत्पादन आदान सामग्री अनुदान स्वरुप दी जावेगी।
2. कन्द वाली व्यावसायिक फसल जैसे–हल्दी, अदरक, लहसुन फसल उत्पादन हेतु अधिकतम 25,000 रूपये अनुदान देय होगा।
3. मसाला फसलों के लिये लगने वाली आदान सामग्री के लागत व्यय का निर्धारण संचालनालय स्तर पर गठित समिति करेगी, जिसमें सदस्य के रूप में कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं ग्वालियर उद्यानिकी विभाग के वैज्ञानिक, नाबार्ड के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सदस्य होंगे।

4. शासकीय संस्थाओं तथा विभागीय रोपणियों/प्रक्षेत्रों कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, के यहाँ उत्पादित एवं प्रदायित उन्नत/संकर बीज क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत विभागीय अमले के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराये एवं उक्त राशि संबंधित संस्था को कृषक की अनुदान राशि से समायोजित कर भुगतान किया जाता है।

औषधीय एवं सुगधित फसल क्षेत्र विस्तार की योजना

योजना का उद्देश्य–

1. औषधीय पौधों के कृषिकरण को सहायता प्रदान करना जो आयुष तंत्र की औषधियों की एकात्मकता, गुणवत्ता प्रमाणिकता तथा सुरक्षा की कुंजी है। कृषि तंत्र में औषधीय पादपों को आत्मसात करने से कृ षकों को फसल विविधता का विकल्प मिलेगा तथा आय में वृद्दि होगी।
2. मूल्य संवर्धित उत्पादों जैसे–हर्बल घनसत्व, फाईको–केमिकल्स,। संपूरक सौंदर्य प्रसाधनों तथा आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने तथा आयुष तंत्र की व्यापक विश्वस्तरीय स्वीकार्यता को बढ़ाने हेतु उत्तम कृषि तथा संग्रहण पद्दतियों द्वारा कृषिकरण किया जाए ताकि मानकी करण तथा गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा दिया जा सके।
3. कृषि करण के अभिसरण भण्डारण,मूल्य संवर्धन तथा विपणन द्वारा प्रसंस्करण क्षेत्रों/समूहों के स्थापना हेतु सहायता तथा इस प्रकार के क्षेत्रों/समूहों की इकाई स्थापना से उद्यमियों के लिये ढांचागत सुविधाओं का विकास करना।
4. गुणवत्ता मानकों उत्तम कृषि कार्य पद्दति ,उत्तम संग्रहण कार्य पद्दति उतम भण्डारण, कार्य पद्दति हेतु प्रमाणीकरण पद्दति को क्रियान्वित करना एवं सहायता देना।
5. शोध एवं विकास, प्रसंस्करण तथा विपणन में लिप्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय,राज्यीय तथा उप राज्यीय स्तर के सार्वजनिक तथा निजी इकाइयों के बीच सहभागिता, अभिसरण तथा सम्मिलित प्रयास।

फोकस फसलें– बेल, सर्पगंधा, कालमेघ, सफेद मुसली, आँवला अश्वगंधा, सतावर, तुलसी,कोलियस एवं गुड़मार।

व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन

योजना का उद्देश्य –

1. कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस/शेड नेट/प्लास्टिक टनल/ प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादि)
2. नियंत्रित वातावरण में वर्षभर ताजी सब्जियों एवं पुष्प की खेती कर इनके उत्पादन में वृद्धि करना।

3. सब्जियों एवं पुष्पों की गुणवत्त में सुधार लाना।

4. कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पाद लेना।

5. उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

6. युवा पीढ़ी में आधुनिक खेती के प्रति रूझान बढ़ाना।

7. कृषि को लाभकारी स्वरूप प्रदान करना।

8. प्राकृतिक प्रकोप से फसल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

योजना का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार :– प्रवेशन में संपूर्ण जिले।

मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिककल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.एच) द्वारा निर्धारित ड्राइंग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस एवं प्लास्टिक टनल इत्यादि का निर्माण किया जावेगा। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा जब–जब अनुदान में परिवर्तन किया जावेगा, दरें तदानुसार स्वयमेव परिवर्तित हो जावेगी। किन्हीं कारणों से यदि भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होता है तो प्रशासकीय विभाग दारों के संबंध में संशोधन हेतु अधिकृत रहेगा।

सम्पर्क :– जिले के उप सहायक संचालक उद्यान विभाग।

उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

1. कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना। संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस/शेड नेट/प्लास्टिक टनल/प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादि)

2. उद्यानिकी क्रियाएँ समय–सीमा में सम्पन्न करने हेतु महंगे कृशि यंत्रों को कृषक की क्रय क्षमता की पहुँच के भीतर लाना।

3. कम समय व लागत के द्यारा अधिक से अधिक क्षेत्र में उद्यानिकी क्रियाएँ सम्पन्न करना।

4. उद्यानिकी उत्पाद की गुणवत्ता में बढ़ोत्त्री करना।

5. यंत्रीकरण के माध्यम से कुछ हद तक मजदूरों पर निर्भरता को कम करना।

6. समय की बचत तथा कृषक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि करना।

कार्यक्षेत्र :– प्रदेश के समस्त जिले।

योजना का स्वरूप :– उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग करने में असमर्थ है। ऐसे कृषक जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागतका 50 प्रतिशत या वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान दिया जायेगा।

संपर्क :– जिले के उप सहायक संचालक उद्यान विभाग।

योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट इकाई लागत का लाभ दिये जाने वाले यंत्रों पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान का विवरण निम्नुनसार है –

क्र.	**यंत्र का नाम**	**अधिकतम अनुदान राशि**
1.	पोटेटो प्लांट/डिगर	30,000 रूपये
2.	गार्लिक/ओनियन प्लांटर/डिगर	30,000 रूपये
3.	ट्रेक्टर माउण्डेड एरोब्लास्ट स्प्रेयर	75,000 रूपये
4.	पॉवर ऑपरेटेड प्रूनिंग मशीन	20,000 रूपये
5.	फागिंग मशीन	10,000 रूपये
6.	मल्च लेईंग मशीन	30,000 रूपये
7.	पॉवर टिलर	75,000 रूपये
8.	पॉवर विडर	50,000 रूपये
9.	ट्रेक्टर विथ रोटावेटर (अधिकतम 20 एचपी)	1,50,000 रूपये
10.	ओनिय गार्लिक मार्कर	500 रूपये
11.	पोस्ट होल डिगर (अर्थ आगर)	50,000 रूपये
12.	ट्री प्रूनर	45,000 रूपये
13.	प्लांट/हेज ट्रिमर	35,000 रूपये
14.	मिस्ट ब्लोअर	25,000 रूपये
15.	पॉवर स्प्रे पम्प	

चयन प्रक्रिया :– हितग्राहियों का चयन ऑनलाइन पंजीयन उपरांत लाटरी पद्धति के द्वारा किया जाता है।

बॉडी (किचन गार्डन) योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को राशि रूपये 75/– का प्रमाणित सब्जी बीजों का पैकेट निःशुल्क वितरित किया जावेगा जिसमें रूपये 67.00 का बीज एवं रूपये 8 रूपये अन्य व्यय को शामिल कर प्रदाय किया जाता है।

फल एवं सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण

फल एवं साग–भाजी परिरक्षण पदार्थ जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, चटनी, कैचप, सॉस, शरबत आदि बनाने का प्रशिक्षण फल परिरक्षण केन्द्र इंदौर में महिलाओं को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सागर, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं रीवा में भी विभागीय तौर पर प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम

कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु निम्नानुसार प्रशिक्षण कराया जाता है –

1. 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण रूपये 400/– प्रति कृषक प्रति दिवस।
2. प्रदेश के अंदर भ्रमण एवं प्रशिक्षण रूपये 500/– प्रति कृषक प्रति दिवस।
3. प्रदेश के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण रूपये 1000/– प्रति कृषक प्रति दिवस।

मेला प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार

योजनान्तग्रत विभागीय योजनाओं एवं फल, फूल, सब्जी एवं मसाला वाली फसलों की आधुनिक तकनीकी की जानकारी कृषकों तक (रूट लेवल) पहुँचाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी एवं सेमिनार आयोजित प्रचार–प्रसार किये जाने की योजना है।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

योजनान्तर्गत फसल बीमा के अंतर्गत फसल की लागत राशि सीम तक होता है तथा लागत राशि का 12 प्रतिशत प्रीमियम देय होता है। प्रीमियम का 50 प्रतिशत कृषक तथा शेष 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत राज्य एवं 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजनान्तर्गत ऋणी व अऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। तत्पश्चात् बीमा के दावां का भुगतान स्थानीय स्तर पर अधिकृत बीमा कंपनी द्वारा स्थापित मौसम केन्द्र में निर्धारित मौसम घटकों में विचलन आने पर दावों का भुगतान किया जाता है।

राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन (केन्द्रांश 90 प्रतिशत राज्यांश 10 प्रतिशत सहायता)

1. प्रदेश में म.प्र. राज्य औषधीय पौध मिशन वर्ष 2008–09 से प्रारंभ किया गया है। यह मिशन भारत शासन के राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के क्षरा जारी मूल दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है।
2. मॉडल बड़ी एवं छोटी रोपणियों की स्थापना (शासकीय/निजी क्षेत्र)

3. औषधीय पौधों की खेती पर अनुदान।
4. कृषकों को प्रशिक्षण सह भ्रमण (राज्य के अंदर/बाहर)।
5. राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन।
6. औषधीय पौधों के फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन पर अनुदान।

कार्ययोजना में शामिल होने वाले जिले – हरदा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर–मालवा, उज्जैन, छिन्दवाड़ा एवं राजगढ़।

राष्ट्र उद्यानिकी मिशन

(केन्द्रांश 60 प्रतिशत राज्यांश 40 प्रतिशत सहायता)

राष्ट्र उद्यानिकी मिशन (केन्द्रांश 60 प्रतिशत राज्यांश 40 जिले भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, मण्डला, डिण्डौरी, बुरहानपुर, बड़वानी,रीवा, सतना, हरदा, राजगढ़, गुना, नीमच, छतरपुर, सीहोर, विदिशा, सीधी, अलीराजपुर, सिंगरौली, अशोकनगर, रायसेन, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया शामिल हैं।

उद्देश्य :–

1. मिशन अवधि में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन दुगना करना।
2. मिशन के अंतर्गत चयनित 40 जिलों में केला, आम, आंवला, संतरा, अमरूद, अनार, सीताफल, बेर, मसाला फसलें धनिया, लहसुन, मिर्च एवं पुष्ट फसलों का विकास करना।
3. उच्च प्रजाति के पौधों के उत्पादन एवं वितरण के लिये बड़ी एवं छोटी मॉडल रोपणियों की स्थापना।
4. गिरते भू–जल स्तर सुधार हेतु जल स्त्रोतों के विकास हेतु 15 लाख रूपये की सीमा तक तालाबों का निर्माण।
5. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देना।
6. फसलोत्तर प्रबंधन प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, निर्यात की सुविधाओं के विस्तार के लिये अधोसंरचना विकास करना।
7. आधुनिक तकनीकी का प्रचार–प्रसार एवं कृषकों को प्रशिक्षण।
8. राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में उद्यानिकी से जुड़ी निम्न गतिविधियों को बढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाना प्रस्तावित है।
9. उद्यानिकी फसलों पर अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से।
10. पौध रोपण अधोसंरचना एवं विकास।
11. फसलोत्तर प्रबंधन।

12. प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन।

13. मिशन प्रबंधन।

संपर्क :– जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान विभाग।

केन्द्र प्रवर्तित माईक्रोइरीगेशन योजना

(केन्द्रांश 60 प्रतिशत सहायता)

1. भारत सरकार द्वारा लागू माईक्रो इरीगेशन योजना का प्रदेश में वर्ष 2005–06 से क्रियान्वयन।
2. योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र या उत्पादन एवं उत्पादकीय गुणवत्त को बढ़ाना।
3. यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. योजना में प्रत्येक हितग्राही को कम से कम 0.4 हैक्टेयर एवं अधिकतम 5 हैक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है।
5. योजनान्तर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि वह राज्य माईक्रो इरीगेशन समिति द्वारा पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अथवा उनके अधिकृत डीलरों से अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर क्रय कर सकते हैं।

योजना में ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट अनुदान सहायता राशि दिये जाने हेतु प्रदेश में डी.पी.ए.पी. एवं नॉन डी.पी.ए.पी. जिले चिन्हाकिंत किये गये हैं जिनमें ड्रिप/स्प्रिंकलर डी.पी.ए.पी. जिलों के लिये (पानी की कमी वाले जिले)

क्र.	**कृषक श्रेणी**	**वर्ग**	**अनुदान सहायता का प्रावधान प्रतिशत में**		
			केन्द्रांश	**राज्यांश**	**योग**
	लघु/सीमांत	अ.जा./अ.ज.जा.	36	44	80
	अ.जा./अजजा	सामान्य	36	34	70
	बड़े कृषक	अ.जा./अ.ज.जा./सा.	27	38	65

नॉन डी.पी.ए.पी. जिलों के लिये (पर्याप्त पानी)

क्र.	कृषक श्रेणी	वर्ग	अनुदान सहायता का प्रावधान प्रतिशत में		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग
	लघु / सीमांत	अ.जा. / अ.ज.जा.	27	38	65
	अ.जा. / अजजा	सामान्य	27	28	55
	बड़े कृषक	अ.जा. / अ.ज.जा. / सा.	27	34	55

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

(केन्द्रांश 60 प्रतिशत राज्यांश 40 प्रतिश सहायता)

1. **अनाज क्षेत्र विस्तार** – परियोजनान्तर्गत अगर अनार टिश्यूकल्चर पौध रोपण मय ड्रिप इरीगेशन का प्रावधान है। उच्च घनज्व पौध रोपण मय ड्रिप रीगेशन हेतु प्रति हेक्टेयर निर्धारित इकाई लागत राशि रू. 1.50 लाख पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि रू. 0.75 लाख तीन वर्षों में अनुदान स्वरूप देय है। प्रथम वर्ष 60 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 20 प्रतिशत व तृतीय वर्ष 20 प्रतिशत राशि न्यूनतम 80 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर देय हैं।

2. **उद्यानिकी कृषकों को प्लास्टिक क्रेट वितरण :–** उद्यानिकी कृषकों को सब्जी फसलों के परिहन हेतु परियोजनान्तर्गत अनुदान पर प्लास्टिक क्रेट वितरण कार्यक्रम लिया गया है। हितग्राहियों को प्रति क्रेट लागतर राशि की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 125.00 या जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्रति कृषक 20 क्रेट्स अधिकतम अनुदान पर दिये जाने का प्रावधान है।

3. **संरक्षित खेती के उद्यानिकी करीडोर का विकास :–** उद्यानिकी करीडोर के विकास हेतु हितग्राहियों द्वारा पाली हाउस व शेडनेट हाउस के निर्माण करने तथा पाली हाउस में पुष्प पौध रोपण सामग्री, शेडनेट हाउस में सब्जी पौध रोपण सामग्री, विन्ड ब्रेक प्लांटेशन व प्रथम वर्ष के इन्शुरेन्स प्रीमियम हेतु निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देय है।

4. **शहरी प्रदूषित जल से पुष्प उत्पादन** : – माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल के पारित निर्णय के फलस्वरूप शहरी प्रदृषित प्रभावित कृषकों की आजीविका के पुर्नजीविकरण हे फूलों की खेती हेतु प्रोत्साहन स्वरू‍ कट फलावर, बल्बस फ्लावर एवं लूज फ्लावर की खेती हेतु एकीकृत बागवानी विकास निशन के मापदण्ड अनुसार ईकाई लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान सहायता का प्रावधन है।

5. **प्याज भंडार गृह** : – प्रदेश में प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषकों को उन्हें उनके उतपाद का उचित मूल्य दिलाने एवं उचित भंडारण सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 मीट्रिक टन के प्याज भंडार गुह निर्माण की परियोजना को राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषकों द्वारा NHRDF नासिक की निर्धारित ड्राईंग–डिजाईन अनुसार प्याज भंडार गृह का निर्माण किया जाने पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन की निर्धारित इकाई लागत अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रू. 1.75 लाख का प्रावधान है।

6. **नेशनल वेजिटेबल इंनिसएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर योजना**:– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की सब–स्कीम नेशनल वेजिटेबल इंनिसएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर योजना वर्ष 2011–12 से प्रदेश में प्रारंभ की गई है। योजना में जिला–भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर एवं आगर–मालवा जिले शामिल हैं।

उद्देश्य :– राजधानी तथा आस–पास के जिलों में उपभोक्ताओं की मांग अनुसार गुणवत्तायुक्त उचित मूल्य पर सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

योजना के घटक :–

1. सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम
2. सब्जी क्षेत्र विस्तार (हायब्रीड)
3. संरक्षित क्षेती
4. जैविका खेती
5. फसलोत्तर प्रबंधन
6. माकैट – रूरल मार्केट, कलेक्शन/एग्रीगेशन सेन्टर

उपरोक्तानुसार घटकों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के मार्गदर्शी निर्देशानुसार निर्धारित लागत मापण्ड पर अनुदान सहायता कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है।

सम्पर्क :– कार्यालय उप/सहायक संचालक उद्यान।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

कुछ मुख्य बिंदु	यह कार्य कर सकते हैं
भ्रमण	अपने आसपास उद्यानिकी पालन के जरिए हो रहे कामों का क्षेत्रभ्रमण कीजिए, तथा यह पता लगाईये कि – जो किसान उद्यानिकी के जरिए अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सामान्य फसलों की तुलना में क्या अनुभव रहे हैं। – अपने क्षेत्र में पारंपरिक रूप से ऐसी वैकल्पिक फसलों का पता लगाईये।
कार्य	अपने भ्रमण के बाद एक एकड़ के उद्यानिकी की किसी एक योजना का एक अनुमानित बजट और कार्ययोजना तैयार कीजिए। इसमें अनुमानित लाभ–हानि और सरकारी योजनाओं को जोड़ते हुए बजट तैयार कीजिए।
संवाद	अपने क्षेत्र के किसानों से इस बिंदु पर संवाद स्थापित कीजिए कि उद्यानिकी का क्या महत्व है और वह उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है।
	उ़द्यानिकी का हमारे पारंपरिक खाद्य व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, और यह कैसे उपयोगी है, इस पर एक नोट तैयार कीजिए।
केस स्टडी	ऐसे दो किसानों की केस स्टडी तैयार कीजिए, जिन्होंने उद्यानिकी को अपनाकर अपनी आय को बढ़ाया है।

रेशम पालन

रेशम पालन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। रेशम पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। रेशम पालन के जरिए किसान अपनी आय को तेजी से बढ़ा सकते हैं।

- रेशम गतिविधियां राज्य स्थापना से प्रारंभ की गई थीं। गतिविधियों का संचालन उद्योग विभाग के अंतर्गत प्रारंभ में मालवांचल तथा होशंगाबाद क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था ।
- वर्ष 1977 से अगस्त 1984 तक गतिविधियों का संचालन मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अधीन रहा ।
- 1 सितंबर 1984 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अलग से रेशम संचालनालय का गठन किया गया ।
- 1986 में ग्रामोद्योग विभाग का गठन किया गया एवं रेद्गाम विभाग 1986 से ग्रामोद्योग विभाग के अधीन कार्यरत है ।

दृष्टि

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवार के आर्थिक सामाजिक असंतुलन को दूर करने के लिये शासन प्रतिबद्ध है । संचालनालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का मुखय उद्देश्य ग्रामीण, भूमिहीन कृषक एवं आदिवासी बहुल जिलों के गांवों में ऐसे परिवारों को आजीविका के बेहतर साधन, संस्थान और अवसर उपलब्ध करना है जिनके पास या तो बहुत कम संसाधन है या जो संसाधन विहीन है ।

उद्देश्य

- प्रदेश के ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले आदिवासी तथा अन्य गरीब तबके के लोगो को रेशम उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध करना ।
- कोसा उद्योग के अन्तर्गत नैसर्गिक प्रजाति का प्रगुणन एवम् पालित प्रजाति की गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा इस कार्य से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि करना ।
- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय हितग्राहियों का चयन कर समहित समूह बना कार्य सम्पादन करना ।
- रेशम उत्पादन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना ।
- उन्नत किस्म के बीच उत्पादन हेतु रेशम बीज उत्पादन हेतू रेशम बीज केन्द्रों व ग्रेनेज का वैज्ञानिक पद्धति से सुदृढ़ीकरण करना ।
- शहतूत, टसर, इरी पौधरोपण को बढ़ावा देना ।
- नवीन तकनीकी से रेशमी धागों के उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाना ।

- ➢ कौशल उन्नयन तथा तकनीकी हस्तांतरण का निरन्तर प्रयास ।

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

इस योजना का मुखय उद्देश्य रेशम अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं लेखा प्रशिक्षण देना व कृषकों / हितग्राहियों को रेशम गतिविधियों का प्रशिक्षण /एक्सपोजर भ्रमण कराना है। इस योजना के अन्य प्रभार मद के अंतर्गत मार्केटिंग सर्वे, मलबरी बीज, ककून के उत्पादन कार्य एवं मलबरी बीज केन्द्रों का संधारण कार्य संपन्न कराया जाता है।

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत रेशम संचालनालय के अधीन 2 मिनी आई.टी.आई. क्रमशः वारासिवनी (जिला बालाघाट) एवं सारंगपुर (जिला राजगढ) में संचालित है, जिनमें कृमिपालन, धागाकरण एवं वस्त्र बुनाई ट्रेड के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है।

2. मलबरी स्वावलंबन योजना

रेशम संचालनालय द्वारा पूर्व में नाभिकीय रेशम केन्द्रों के रूप में चलाये जा रहे रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार हितग्राहियों को दिया गया है, ताकि उनमें स्वरोजगार की भावना जागृत हो। हितग्राहियों को केन्द्र पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है।

3. मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

मलबरी कोया उत्पादन :– प्रदेश के बुनकरों द्वारा बड़ी मात्रा में आयातित रेशम के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त बाजारोन्मुखी कोया / रेशम धागे के उत्पादन पर जोर दिया गया है।

रेशम केन्द्रों में निर्माण कार्य, सिंचाई सुविधाएं कार्य कराए जाते हैं, साथ ही मलबरी पौधरोपण एवं मलबरी बीज ककून उत्पादन का कार्य कराया जाता है।

4. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

टसर कोया उत्पादन

पालित :– इस योजना का मुखय उद्देश्य कोसा वस्त्र उत्पादन हेतु प्रदेश के बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित बीज केन्द्रों / पायलेट प्रोजेक्ट केन्द्रों / ग्रेनेजों द्वारा उत्पादित टसर रेशम कृमि के स्वस्थ डिम्ब समूह (निरोग अण्डे) प्रदाय किये जाते हैं, जिसके लिये बेसिक सीड केन्द्रीय रेशम बोर्ड के केन्द्रों से प्राप्त किया जाता है तथा कृमिपालन कर प्रगुणित किया जाता है। कृमिपालन, कृमिपालकों द्वारा खुले आकाश के नीचे वन क्षेत्रों मे उपलब्ध साजा/अर्जुन के पौधों पर होता है।

नैसर्गिक :— प्रदेश के मण्डला, शहडोल एवं सिवनी जिलों के साल/अर्जुन वनों से नैसर्गिक रूप में टसर कोसा का उत्पादन होता है जहॉ ककून के उत्पादन स्तर को लगातार बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा प्रगुणन कैम्प लगाये जाते हैं। वनों में उत्पादित ककून को स्थानीय हितग्राही एकत्रित कर स्थानीय हाट—बाजार में विक्रय कर आय अर्जित करते हैं।

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम

मलबरी :—

मलबरी रेशम को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु कृषकों की निजी भूमि में शहतूती पौधरोपण के लिये विस्तार कार्यक्रम लिया गया है। इसकें अंतर्गत छोटे एवं मध्यम किसानों की निजी भूमि पर 0.5 एकड़ से 5.00 एकड तक भूमि पर मलबरी पौधरोपण कराया जाता है। उक्त पौधरोपण करने वाले कृषको को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जाती है जिसमें कृमिपालकों को प्रशिक्षण, प्रारंभिक कृमिपालन उपकरण, कृमिपालन भवन एवं ड्रिप ऐरीगेशन सिस्टम आदि उपलब्ध कराये जाते हैं ।

टसर :—

टसर क्षेत्र में कृमिपालन हितग्राही को खाद्य पौधरोपण तथा चाकी उद्यान के उचित रख—रखाव तथा कृमिपालन उपकरण हेतु सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

इरी :—

इरी रेशम विकास एवं विस्तार हेतु अरण्डी पौधरोपण, प्रशिक्षण, टूलकिट हेतु सहायता तथा इरी कृमिपालन हेतु भवन निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

6. इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

प्रदेश में अरण्डी के पौधे पर आधारित इरी रेशम के माध्यम से रोजगार सृजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इरी रेशम के कीड़े को अरण्डी के पत्ते पर पाला जाकर रेशम उत्पादन कराया जाता है। अरण्डी का पौधा कम उपजाऊ भूमि पर लगाया जा सकता है तथा इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अरण्डी के पौधे पर रेशम कीट पालन के साथ—साथ कृषक को अरण्डी के बीज तथा अरण्डी के पौधे की जड़ के विक्रय से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है क्योंकि अरण्डी के बीज से तेल उत्पादन तथा जड़ औषधि उत्पादन में काम आती है।

7. स्पेशल प्रोजेक्ट

मलबरी टसर एवं इरी ककून तथा रेशम उत्पादकों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्ति हेतु विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन में हिस्सेदारी के लिये सहायता ।

8. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

प्रदेश के ऐसे जिलों में जहां कि रेशम उत्पादन हेतु सामाजिक/आर्थिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल है किंतु प्रति व्यक्ति भू–जोत का आकार न्यूनतम होने के कारण छोटे एवं सीमांत कृषकों, परंपरागत कृषि से कम आय प्राप्त कर रहे ऐसे संकुलों में रेशम की ''मिट्टी से रेशम'' तक की गतिविधियों हेतु विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करते हुए संपूर्ण क्लस्टर का समग्र विकास किया जाना ।

9. उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

रेशम उद्योग से संबद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों/स्वसहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं को विकास, उत्पादन एवं विपणन से संबंधित गतिविधियों में सहयोग ।

10. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

रेशम उद्योग प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी पर रोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस उद्योग में लगे हितग्राहियों को नियमित रोजगार मिले इस हेतु उनके उत्पादों की मांग बढ़े तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण की नितांत आवश्यकता है। अभिलेखीकरण इसलिये भी आवश्यक है कि यह न केवल विकास कार्यों को दर्शाता है बल्कि इस उद्योग के इतिहास को भी दर्शाता है। अभिलेखीकरण का उपयोग डायग्नोस्टिक स्टेडी एवं भावी योजनाएं तैयार करने में सहायक होगा।

मैदानी/प्रायोगिक कार्य

कुछ मुख्य बिंदु	यह कार्य कर सकते हैं
भ्रमण	अपने आसपास रेशम पालन के जरिए हो रहे कामों का क्षेत्रभ्रमण कीजिए, तथा यह पता लगाईये कि – जो किसान रेशम पालन के जरिए अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सामान्य फसलों की तुलना में क्या अनुभव रहे हैं।

	– अपने क्षेत्र में पारंपरिक रूप से ऐसी वैकल्पिक फसलों का पता लगाईये। – इस बात को देखिए कि आपके क्षेत्र के मौसम और वातावरण के अनुकूल रेशम पालन है या नहीं।
कार्य	अपने भ्रमण के बाद एक एकड़ के रेशम पालन योजना का एक अनुमानित बजट और कार्ययोजना तैयार कीजिए। इसमें अनुमानित लाभ–हानि और सरकारी योजनाओं को जोड़ते हुए बजट तैयार कीजिए।
संवाद	अपने क्षेत्र के किसानों से इस बिंदु पर संवाद स्थापित कीजिए कि रेशम पालन का क्या महत्व है और वह उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है।
	इस बात पर बिंदु तैयार कीजिए कि अलग–अलग तरह की फसलें किसानों के लिए और पर्यावरण के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती हैं।